खण्ड-435, अंक-1
सोमवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1922
(8 मई, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 435 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची	क–च
महामहिम राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची	छ–ट
उपस्थित सदस्य	ड–ढ
हरदोई में दलितों तथा मुजफ्फर नगर में पुलिस द्वारा सांसद तथा विधायक के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के विरोध में मुख्य मंत्री कार्यालय के सामने विधायकों द्वारा धरना दिये जाने संबंधी प्रकरण	1–2
प्रश्नोत्तर	2–32
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	32
जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज की कतिपय न्याय पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	33
पी० सी० एफ० उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यरत वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित रूप से की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद में भूजल के गिरते स्तर के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34
अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज की कतिपय सड़कों को पिच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	34
वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जल संस्थान के पुराने गेट के सामने स्थित ध्वस्त मुख्य ट्रंक सीवर लाइन की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35
रुड़की विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटाव के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35
प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं की शासनादेश के अनुसार नवीनीकरण एवं नियुक्तियों के लिये आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	35–36
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	36
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	36
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 ... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	36

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	37
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 ...(विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	37
जनपद मेरठ में विद्युत आपूर्ति के व्यवधान के समय पेयजल की आपूर्ति को सुचारु रूप से संचालन हेतु जनरेटरों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में अशोक सुधाकर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	37–38
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	38–39
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) ..... (स्वीकृत)	39–40
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	40
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या–12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) (स्वीकृत)	40–41
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	41
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करें" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन	41
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	41–43
प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में कार्यरत सी० एच० डब्लू० (कम्युनिटी हेल्थ वर्करों) के साथ हो रहे अन्याय के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजेपयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	43–44
प्रदेश में भयावह रूप से बढ़ रही मुख कैंसर की बीमारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	44–45
जनपद आगरा महानगर स्थित लेडी लायल महिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	45–46

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की कमी से उत्पन्न गम्भीर संकट तथा पोखरों एवं तालाबों को आदेशों के बावजूद न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री अजय कुमार पोद्दया द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	46
वाराणसी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–2 में कार्य को शीघ्र प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	46
लखनऊ स्थित 'पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र' की सरकारी उदासीनता के चलते, बदहाली तथा संस्थान के अस्तित्व को बरकरार रखे जाने के संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	46
नत्थी	47

नमूना प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची)

1–अब्दुल सलाम, श्री — प्रतापगढ़
2–अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3–अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4–अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5–अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
6–अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
7–अजय भट्ट, श्री — अल्मोड़ा
8–अजय राय, श्री — वाराणसी
9–अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री — सीतापुर
10–अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11–अतुल कुमार, श्री — मेरठ
12–अनिल कुमार, श्री — बलिया
13–अनीस खां, श्री — पीलीभीत
14–अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
15–अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
16–अफरोज अली खां, श्री — रामपुर
17–अब्दुल कलाम, श्री — बस्ती
18–अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
19–अब्दुल खालिक, श्री — अलीगढ़
20–अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
21–अमर मणि, श्री — महराजगंज
22–अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
23–अम्बरीष कुमार, श्री — हरिद्वार
24–अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
25–अम्मार रिजवी, डा० — सीतापुर
26–अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27–अरविन्द कुमार जैन, श्री — ललितपुर
28–अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
29–अरिमर्दन सिंह, श्री — महोबा
30–अरुण प्रताप सिंह, श्री — सुल्तानपुर
31–अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
32–अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
33–अशफाक अहमद, श्री — बरेली
34–अशोक कुमार, श्री — जौनपुर
35–अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
36–अशोक बाजपेयी, डा० — हरदोई
37–अशोक यादव, श्री — फिरोजाबाद
38–आचार्य रामदेव वैश्य, श्री — बाराबंकी
39–आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
40–आर० के० चौधरी, श्री — लखनऊ
41–आर०के० सिंह पटेल, श्री — बांदा
42–आलमबदी, श्री — आजमगढ़
43–इकबाल महमूद, श्री — मुरादाबाद
44–इन्द्रजीत सरोज, श्री — इलाहाबाद
45–इन्द्रदेव सिंह, डा० — बिजनौर
46–इलम सिंह, श्री — सहारनपुर
47–उदय राज यादव, श्री — उन्नाव
48–उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
49–उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
50–उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
51–ओइमूवेश, स्वामी — बिजनौर
52–ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
53–ओम प्रकाश, श्री — एटा
54–ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
55–ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
56–कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
57–कमलेश कुमार सिंह, श्री — बलरामपुर
58–कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
59–काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
60–काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
61–काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
62–काशीनाथ, श्री — सुल्तानपुर
63–काशी राम, श्री — रामपुर
64–किशन लाल बघेल, सेठ — आगरा
65–कृपा शंकर सिंह, श्री — उन्नाव
66–कृष्ण चन्द्र पुनेठा, श्री — पिथौरागढ़
67–कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
68–कृष्णा राज, श्रीमती — खीरी
69–केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
70–केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
71–केशो मेहरा, श्री — आगरा
72–के० सी० सिंह "बाबा", श्री — उधम सिंह नगर
73–कैलाश, श्री — गाजीपुर

74–कैलाश सिंह राजपूत, श्री फर्रुखाबाद
75–कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
76–कौकब हमीद, श्री मेरठ
77–कौशल किशोर, डा० खीरी
78–गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
79–गंगा बख्श सिंह, श्री उन्नाव
80–गंगा सिंह चौहान, श्री हरदोई
81–गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री मेरठ
82–गणेश राजभर, श्री गाजीपुर
83–गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
84–गोपाल कृष्ण, श्री पीलीभीत
85–गोमती यादव, श्री लखनऊ
86–गोरखनाथ पाण्डेय, श्री भदोही
87–गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
88–गौरी शंकर एडवोकेट, श्री लखनऊ
89–चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
90–चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री झांसी
91–चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
92–चन्द्रेश पासवान, श्री गोरखपुर
93–चेतराम, श्री शाहजहांपुर
94–चौधरी नरेन्द्र सिंह कानपुर देहात
95–चौधरी बाबू लाल आगरा
96–चौधरी लक्ष्मी नारायण मथुरा
97–छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
98–छोटे लाल गंगवार, मास्टर बरेली
99–छोटे लाल राजभर, श्री बलिया
100–छोटे लाल वर्मा, डा० महोबा
101–छोटे सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
102–जगपाल, श्री सहारनपुर
103–जगत पाल सिंह, मेजर मुरादाबाद
104–जगत सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
105–जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
106–जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
107–जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
108–जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
109–जटा शंकर, श्री बहराइच
110–जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
111–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112–जय नारायन तिवारी, श्री सुल्तानपुर
113–जयपाल सिंह, श्री मेरठ
114–जय प्रकाश, श्री गाजियाबाद
115–जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
116–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117–जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
118–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइय्या, श्री गोरखपुर
119–जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
120–ज्ञान चन्द, श्री उत्तरकाशी
121–ज्ञानवती सिंह, डा० अलीगढ़
122–ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
123–ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
124–तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल, श्री गोरखपुर
125–तिलकराज बेहड़, श्री उधम सिंह नगर
126–तेजभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
127–तोताराम, श्री मुरादाबाद
128–तौफीक अहमद, श्री सिद्धार्थनगर
129–दद्दू प्रसाद, श्री बांदा
130–दयाशंकर, श्री जालौन
131–दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
132–दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
133–दिलीप कुमार, श्री बहराइच
134–दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
135–दीप लाल भारती, श्री पडरौना
136–दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
137–देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह, श्री कानपुर देहात
138–धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
139–धनीराम वर्मा, श्री इटावा
140–धर्मज्ञ मिश्र,डा० हरदोई
141–धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
142–धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकर नगर
143–नन्दराम, श्री बरेली
144–नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० इलाहाबाद
145–नरेन्द्र सिंह, श्री आजमगढ़
146–नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
147–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
148–नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री गाजियाबाद
149–नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
150–नवाब सिंह नागर, श्री गाजियाबाद
151–नारायण राम दास, श्री अल्मोड़ा
152–निर्भय पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
153–नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
154–नेतराम सिंह, श्री एटा
155–"पटेल" रामकुमार वर्मा, श्री खीरी
156–परवेज हलीम खां, श्री मेरठ
157–पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित सदस्य
158–पीतम राम, श्री पीलीभीत
159–पूरन सिंह बुन्देला, श्री ललितपुर

160–पूर्णमासी पंकज, श्री भदोही
161–प्रदीप कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
162–प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
163–प्रभा द्विवेदी, श्रीमती फर्रुखाबाद
164–प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वाराणसी
165–प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
166–प्रेम पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
167–प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
168–प्रेम लता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
169–प्रेम स्वरूप पाठक, श्री बदायूं
170–फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
171–फरीद महफूद किदवाई, श्री बाराबंकी
172–फागू, श्री मऊ
173–बंश नारायण सिंह, श्री भदोही
174–बंशीधर भगत, श्री नैनीताल
175–बचनूराम पटेल, श्री वाराणसी
176–बच्चा पाठक, श्री बलिया
177–बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
178–बनारसी दास चान्दना, श्री मेरठ
179–बांके लाल सोनकर, श्री जौनपुर
180–बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
181–बाबू खां, श्री हरदोई
182–बाबू राम, श्री जालौन
183–बाबू राम यादव, श्री मैनपुरी
184–बाबू लाल कुरील, श्री उन्नाव
185–बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
186–बाल चन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
187–बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
188–बावन सिंह, श्री गोण्डा
189–बिजेन्द्र आर्य, श्री मुजफ्फरनगर
190–बिन्दु लाल, श्री गोण्डा
191–बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
192–बी० आर० वर्मा, श्री जौनपुर
193–बी० के० गुप्ता, श्री पीलीभीत
194–बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री सीतापुर
195–बेचन राम, श्री गोरखपुर
196–ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री मुरादाबाद
197–भगवती प्रसाद, श्री कानपुर देहात
198–भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
199–भरत सिंह, श्री बलिया
200–भाई लाल, श्री मिर्जापुर
201–भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
202–भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकर नगर
203–भोनू राम सोनकर, श्री गाजीपुर
204–भोला शंकर मौर्य, श्री बदायूं
205–मंगल सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
206–मंजू, श्रीमती बलिया
207–मंडलेश्वर सिंह, श्री आगरा
208–मतेश चन्द्र सोनकर, श्री इलाहाबाद
209–मथुरा प्रसाद, श्री कानपुर देहात
210–मलखान सिंह, श्री अलीगढ़
211–मस्तराम, श्री उन्नाव
212–महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
213–महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
214–महेन्द्र कुमार, श्री बुलन्दशहर
215–महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
216–महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा० वाराणसी
217–महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री बांदा
218–महेन्द्र सिंह यादव, श्री बुलन्दशहर
219–मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
220–मानिक चन्द यादव, श्री मैनपुरी
221–माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
222–मारकण्डेय चन्द, श्री गोरखपुर
223–मिथिलेश कुमारी, श्रीमती एटा
224–मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
225–मुन्ना चौहान, श्री देहरादून
226–मुन्ना लाल मौर्य, श्री फतेहपुर
227–मुरलीधर, श्री फतेहपुर
228–मुराद लारी, श्री देवरिया
229–मुस्ताक सोलंकी, श्री कानपुर नगर
230–मुस्लिम, डा० रायबरेली
231–मुहर सिंह अम्बाडी, श्री इटावा
232–मूल चन्द, श्री बिजनौर
233–मोती लाल, श्री खीरी
234–मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री गढ़वाल
235–मोहम्मद मुकीम, श्री सिद्धार्थनगर
236–यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
237–यशवन्त, श्री आजमगढ़
238–योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
239–योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री देवरिया
240–रंगनाथ मिश्र, श्री भदोही
241–रंग बहादुर पटेल, श्री इलाहाबाद
242–रघुनाथ सिंह चौहान, श्री अल्मोड़ा
243–रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'', कुंवर प्रतापगढ़
244–रघुवर दयाल वर्मा, श्री फिरोजाबाद
245–रज्जन पाल सिंह, श्री एटा

246–रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
247–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर पडरौना
248–रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
249–रमेश पोखरियाल "निशंक", डा० गढ़वाल
250–रमेश राही, श्री सीतापुर
251–रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो० मेरठ
252–रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
253–रवीन्द्र शुक्ला, श्री झांसी
254–राकेश त्यागी, श्री बुलन्दशहर
255–राकेश धर त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
256–राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
257–राजधारी, श्री बलिया
258–राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
259–राजपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
260–राजा गज़नफर अली खां, श्री बिजनौर
261–राजा राम पाण्डेय, श्री प्रतापगढ़
262–राजाराम पाल, श्री कानपुर देहात
263–राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
264–राजेन्द्र यादव, श्री गाजीपुर
265–राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
266–राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
267–राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
268–राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
269–राजेश कुमार सिंह, श्री मुरादाबाद
270–राधेश्याम, श्री कानपुर देहात
271–राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
272–राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
273–राधेश्याम सिंह, श्री पडरौना
274–राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
275–राम अवतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
276–राम आसरे पासवान, श्री बस्ती
277–राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
278–राम औतार शाक्य, श्री मैनपुरी
279–राम कुमार एडवोकेट, श्री उन्नाव
280–राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
281–राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
282–राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
283–राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
284–रामजग, श्री आजमगढ़
285–रामतेज यादव, एडवोकेट, श्री बहराइच
286–राम नक्षत्र, श्री पडरौना
287–राम नरेश रावत, श्री गाजियाबाद
288–राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
289–राम नाथ, श्री प्रतापगढ़
290–रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
291–रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
292–राम पाल सिंह, श्री गोण्डा
293–राम प्यारे सिंह, श्री आजमगढ़
294–राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
295–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
296–राम बाबू हरित, डा० आगरा
297–राम रतन यादव, श्री सुल्तानपुर
298–राम लखन, श्री सुल्तानपुर
299–राम ललित चौधरी, श्री बस्ती
300–राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
301–रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
302–रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
303–राम शंकर पाल, श्री उन्नाव
304–राम सखी, श्रीमती अलीगढ़
305–राम सिंह, डा० अलीगढ़
306–राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
307–राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
308–राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
309–राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
310–राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
311–राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
312–राम हर्ष सिंह, श्री सुल्तानपुर
313–रामाधार सिंह, श्री हमीरपुर
314–रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री मैनपुरी
315–रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
316–रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री मुरादाबाद
317–रूप चौधरी, श्री मेरठ
318–रेवती रमण सिंह उर्फ "मणि", कुंवर इलाहाबाद
319–लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा० मेरठ
320–लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
321–लवकुश कुमार, श्री बिजनौर
322–लाखीराम जोशी, श्री टिहरी गढ़वाल
323–लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
324–लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
325–लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
326–लाल सिंह वर्मा, श्री इटावा
327–लोकपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
328–वकार अहमद शाह, डा० बहराइच
329–वसीम अहमद, श्री आजमगढ़

330–बहोरन लाल मौर्य. श्री बरेली
331–विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
332–विजमा यादव, श्रीमद्री इलाहाबाद
333–विजय कुमार, श्री गाजीपुर
334–विजय पाल सिंह, श्री आगरा
335–विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
336–विजय सिंह, श्री सोनभद्र
337–विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
338–विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
339–विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री गोण्डा
340–विनोद मणि, श्री महराजगंज
341–विभूति प्रसाद निषाद, श्री आजमगढ़
342–वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
343–वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
344–वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
345–विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
346–विशन सिंह चुफाल, श्री पिथौरागढ़
347–विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
348–विश्वनाथ, श्री पडरौना
349–वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
350–वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री एटा
351–वेद प्रकाश, श्री बस्ती
352–वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा० बिजनौर
353–शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
354–शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
355–शिव गणेश लोधी, एडवोकेट, श्री रायबरेली
356–शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
357–शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
358–शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
359–शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
360–शिव प्रसाद, श्री हरदोई
361–शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
362–शिव शंकर, श्री बांदा
363–शिव सिंह चक, श्री फिरोजाबाद
364–शिवाकान्त, श्री प्रतापगढ़
365–शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महराजगंज
366–शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
367–शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
368–श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
369–श्याम देव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
370–श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
371–श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
372–श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
373–श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
374–श्रीराम, श्री मऊ
375–श्रीराम पाल, श्री जालौन
376–श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
377–संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
378–संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
379–संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
380–संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
381–सतीश जतारिया, श्री झांसी
382–सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
383–सतीश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
384–सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
385–सन्त, श्री गोरखपुर
386–सन्त राम सिंह, श्री जालौन
387–समरपाल सिंह, श्री मेरठ
388–सरजीत सिंह डंग, डा० मिर्जापुर
389–सरदार सिंह, श्री मथुरा
390–सरवर अली खां, श्री बाराबंकी
391–सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
392–सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर, मुरादाबाद
393–सिंहासन सिंह, श्री गाजीपुर
394–सीताराम निषाद, श्री फैजाबाद
395–सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
396–सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
397–सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
398–सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
399–सुधाकर सिंह, श्री मऊ
400–सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री देवरिया
401–सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
402–सुरेन्द्र नाथ अवस्थी, श्री बाराबंकी
403–सुरेन्द्र प्रताप सिंह श्री बरेली
404–सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
405–सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
406–सुरेश चन्द्र आर्य, श्री उधम सिंह नगर
407–सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
408–सुशील शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
409–सुशीला अग्रवाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
410–सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
411–सूर्य भान सिंह, श्री सुल्तानपुर
412–सौलत अली, एडवोकेट, श्री मुरादाबाद

413–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — रायबरेली
414–हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
415–हरपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
416–हरवंश कपूर, श्री — देहरादून
417–हरिनारायण, श्री — बलिया
418–हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र
419–हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर
420–हरि शंकर माहौर, श्री — अलीगढ़
421–हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव''हरीश जी'', श्री — वाराणसी
422–हरीश चन्द्र गंगवार, श्री — बरेली
423–हीरालाल गौतम, श्री — आजमगढ़
424–हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
425–होराम सिंह, श्री — बुलन्दशहर
426–* रिक्त– — एटा

*श्री ओंकार सिंह, सोरों (एटा) की दिनांक 26 फरवरी, 2000 को रात्रि में हुई मृत्यु के फलस्वरूप ।
नोट :– दिनांक 14 मार्च, 2000 तक यथासंशोधित ।

महामहिम राज्यपाल

श्री सूरजभान

मंत्रि-परिषद्

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री राम प्रकाश (मुख्य मंत्री)	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, विधायी, राज्य सम्पत्ति, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक विकास एवं प्रोटोकाल ।
2	श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"	वित्त
3	श्री कलराज मिश्र	लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा
4	श्री लालजी टण्डन	आवास, नगर विकास
5	श्री ओम प्रकाश सिंह	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, उच्च शिक्षा
6	श्री नरेश अग्रवाल	ऊर्जा
7	श्री दिवाकर विक्रम सिंह	कृषि
8	डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर	गन्ना विकास
9	श्री चौधरी नरेन्द्र सिंह	खाद्य एवं रसद
10	श्री रमापति शास्त्री	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
11	श्री मारकण्डेय चन्द	लघु सिंचाई ग्रामीण अभियंत्रण
12	श्री राजधारी सिंह	वन
13	डा० नैपाल सिंह	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
14	श्री सूर्य प्रताप शाही	आबकारी
15	श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा	सहकारिता
16	श्रीमती प्रेमलता कटियार	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण ।
17	श्रीमती प्रभा द्विवेदी	महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार, प्राविधिक शिक्षा ।

1	2	3
18	श्री सरदार सिंह	मातृ एवं शिशु कल्याण, परिवार कल्याण
19	श्री राधेश्याम गुप्ता	न्याय
20	श्री बाबू राम, एम०काम०	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
21	श्री हुकुम सिंह	संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर । स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क
22	श्री शिव प्रताप शुक्ल	ग्राम्य विकास
23	श्री बच्चा पाठक	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
24	श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही	राजस्व
25	श्री हरिशंकर तिवारी	वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग
26	श्री मण्डलेश्वर सिंह	भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास
27	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह	परिवहन
28	डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"	संस्कृति, पूर्त एवं धर्मस्व
29	श्री चौधरी लक्ष्मीनारायण	कारागार
30	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
31	श्री धनराज यादव	उद्यान
32	श्री शिवाकान्त ओझा	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स ।
33	श्री सरस्वती प्रताप सिंह	लघु उद्योग
34	श्री फागू चौहान	पशुधन एवं मत्स्य
35	श्री राजाराम पाण्डे	खादी एवं ग्रामीण उद्योग
36	कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल ।
37	श्री जय नरायन तिवारी	सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास ।

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

क्र०सं०	नाम	कार्य विभाग (पोर्टफोलियो)
1	2	3
1	श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय	पंचायती राज
2	श्री धर्मपाल सिंह	श्रम
3	श्री जयपाल सिंह	दुग्ध विकास
4	श्री अशोक यादव	पर्यटन
5	श्री राधेश्याम कोरी	अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन ।
6	श्री राजा गजनफर अली	अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज ।
7	श्री बालेश्वर त्यागी	बेसिक शिक्षा
8	श्री मातवर सिंह कण्डारी	उत्तरांचल विकास
9	श्री भगवान सिंह शाक्य	राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन
10	श्री सुरेश खन्ना	नियोजन

राज्य मंत्री

क्र०सं०	नाम	विभाग या विषय
1	2	3
1	श्री सुखपाल पाण्डेय	परिवहन
2	श्री शिवेन्द्र सिंह	आवास
3	श्री रंगनाथ मिश्र	गृह
4	श्री मंगल सिंह सैनी	सिंचाई
5	श्री सतीश शर्मा	कृषि
6	श्री राम प्रसाद कमल	लोक निर्माण
7	श्री राकेश त्यागी	सहकारिता
8	श्री सतीश महाना	नगर विकास
9	श्री शिव शंकर सिंह	सिंचाई
10	श्री राकेश धर त्रिपाठी	लोक निर्माण
11	श्री लल्लू सिंह	ऊर्जा
12	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिवहन
13	श्री विवेक कुमार सिंह	ऊर्जा
14	श्री संग्राम सिंह	कृषि
15	श्री वंश नारायण पटेल	खाद्य एवं रसद
16	श्री फतेह बहादुर सिंह	औद्योगिक विकास
17	श्री हरि नारायण राजभर	ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई

1	2	3
18	डा० राम बाबू हरित	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
19	श्री राम आसरे पासवान	लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण
20	श्री राजेन्द्र सिंह पटेल	ग्राम्य विकास
21	श्री बंशीधर भगत	वन
22	श्री चन्द्र किशोर	माध्यमिक शिक्षा, भाषा
23	श्री यशवन्त सिंह	आबकारी
24	श्री नारायण राम दास	आबकारी
25	श्री दलवीर सिंह	गन्ना विकास
26	श्री रामचन्द्र बाल्मीकि	गन्ना विकास
27	श्री दल बहादुर कोरी	समाज कल्याण
28	श्री विक्रमाजीत मौर्य	ऊर्जा
29	सुश्री डा० शीमा रिजवी	चिकित्सा शिक्षा
30	श्रीमती गुलाब देवी	महिला कल्याण, बाल विकास एव पुष्टाहार
31	श्री गंगा बख्श सिंह	संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर
32	श्री राम आसरे कुशवाहा	वन
33	श्री रामपाल राजवंशी	पर्यावरण, अतिरिक्त ऊर्जा
34	श्री बहोरन लाल मौर्य	राजस्व
35	श्री विहारी लाल आर्य	खाद्य एवं रसद
36	श्री राम लखन पासी	समाज कल्याण
37	श्री श्रीराम सोनकर	संस्कृति एवं पूर्त धर्मस्व
38	श्री विनय कुमार पाण्डेय	कारागार
39	श्री वेद प्रकाश	होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा
40	डा० अरविन्द कुमार जैन	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
41	श्री अमरमणि त्रिपाठी	संस्थागत एवं व्यापार कर
42	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	सहकारिता
43	श्री जितेन्द्र कुमार जायसवाल	खेलकूद, युवा कल्याण, प्रान्तीय विकास दल
44	श्री मुन्ना लाल मौर्य	खाद्य एवं रसद

नेता विरोधी दल

श्री धनीराम वर्मा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

उपाध्यक्ष

रिक्त

सचिव

श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय

अधिष्ठाता मण्डल

1–डा० सरजीत सिंह डंग, सदस्य, विधान सभा (मिर्जापुर),

2–श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा (कानपुर नगर),

3–श्री रवीन्द्र शुक्ल, सदस्य, विधान सभा (झांसी),

4–श्री हरवंश कपूर, सदस्य, विधान सभा, (देहरादून),

5–डा० अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),

6–श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य, विधान सभा (हरिद्वार),

7–श्री मुन्ना चौहान, सदस्य, विधान सभा (देहरादून),

8–श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा (अम्बेडकर नगर),

9–डा० अम्मार रिजवी, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),

10–श्री वीरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर) ।

हिन्दी माध्यम

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 8 मई, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर
ओइमूवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काजिम अली खां, उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	उधम सिंह नगर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
जयवीर सिंह भदौरिया, श्री	इटावा
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
महाराज सिंह यादव, श्री	इटावा
महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
रंगनाथ मिश्र, श्री	[illegible]
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	[illegible]
रमेश राही, श्री	[illegible]
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राम अवतार मिश्रा, श्री	शाहजहांपुर
राम आसरे पासवान, श्री	बस्ती
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर

राम नाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वंजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
धीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
धीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह, श्री	मथुरा
वेद प्रकाश सिंह, एम०एस०, डा०	बिजनौर
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुमन लता सिंह, श्रीमती	बरेली
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	उधम सिंह नगर
सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र
हरि शंकर माहौर, श्री	अलीगढ़
हीरालाल गौतम, श्री	आजमगढ़
होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

विधान सभा

सोमवार, दिनांक 8 मई, 2000

(विधान सभा मण्डप की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजकर 05 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही पांच मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई ।)

हरदोई में दलितों तथा मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा सांसद तथा विधायक के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के विरोध में मुख्य मंत्री कार्यालय के सामने विधायकों द्वारा धरना दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी टूण्डला काण्ड ठण्डा भी नहीं हो पाया इधर हरदोई शहर के अन्दर सामूहिक हत्या कर दी गई ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये माननीय नेता विपक्ष ने इस घटना की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कराया है और मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि कार्य–स्थगन की सूचनाओं के बाद मैं उनको सुन लूंगा और चयनित नियम–56 की सूचना के अन्तर्गत आपको अनुमति दे दूंगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

एक सांसद और एक पूर्व विधायक की पिटाई की गयी .....

श्री अध्यक्ष–

उस समय आप अपनी बात कह देंगे तो अच्छा रहेगा । उपयुक्त समय भी वही है ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर सदस्य धरने पर बैठे हुए हैं, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय के पास । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर हैं और यदि इस बात का निराकरण हो जाता है तो मामला यहीं पर पटाक्षेप हो जायेगा । उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज होने का आश्वासन सरकार की ओर से सदन में आ जाय तो वह धरना भी समाप्त हो जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, अभी टूण्डला की आग बुझी भी नहीं थी कि हरदोई में चार दलितों की सामूहिक हत्या हो गयी यह एक खेद का विषय है । आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत दलितों की हत्यायें की जा रही हैं । अभी टूण्डला की हत्या का विषय शेष है जिस पर सरकार को कुछ कहना है परन्तु इसी बीच हरदोई में चार दलितों की हत्या हो गयी ।

श्री अध्यक्ष–

सुसंगत नियमों के अन्तर्गत सूचना आयेगी तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

राकेश कुमार, पूत्तू लाल, रूस्तम लाल और चौथा राकेश कुमार की हत्या हो गयी । यह एक शर्म का विषय है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

श्री मौर्य जी, संक्षेप में आपने सारी बातें कह दी । थोड़ी देर बाद जब मैं यहां से उठूंगा तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष को बुला रहा हूं । आपने एक अच्छा सुझाव दिया है कि सदन की कार्यवाही चले और नियमानुसार चले । कोई न कोई हल आपके सहयोग से निकल आयेगा । माननीय मौर्य जी उस समय आप भी आ जाइए । वहां बैठकर कोई न कोई हल निकाला जा सकता है । हम बैठकर बात करते हैं और कोई हल निकालने का प्रयास करते हैं ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, इस घटना को लेकर लोग धरने पर बैठे हुए हैं । पहले समस्या का समाधान हो जाय । आप सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में दलितों में जनाक्रोश व्याप्त है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 11-30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं और बात करते हैं कि कोई समाधान निकल आये ।

(11 बजकर 10 मिनट पर श्री अंध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है । 12 बजे मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के आधार पर महाविद्यालयों (शासकीय सहायता प्राप्त) के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष किये जाने की जानकारी

**1–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इसका लाभ उन अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी दिया जायेगा जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर रिटायर कर दिये गये हैं किन्तु अभी 62 वर्ष की आयु नहीं हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई, बाढ़ नियन्त्रण तथा उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

** नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश में देशी/विदेशी पर्यटकों हेतु सरकारी विशेष कार्य योजना की जानकारी

** 2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

प्रर्यटन को प्रदेश में व्यवसाय के रूप में विकसित करने, विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों एवं यात्रियों के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नेतृत्व, संघटनात्मक ढांचा तथा रणनीतिक दिशा प्रदान करने, देशी तथा विदेशी पर्यटकों के बीच उत्तर प्रदेश के उत्पादों का विपणन करने एवं प्रदेश के रुचिपूर्ण स्थलों को विकसित करके, प्रदेश के लिए रोजगार, सृजन, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ अर्जन करने हेतु उद्देश्य तथा रणनीति निर्धारित करने हेतु नयी पर्यटन नीति 1998 की घोषणा की गयी है ।

इस योजना के अन्तर्गत पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है । अवस्थापना सुविधाओं के समुचित रख-रखाव हेतु क्षेत्रीय विकास निधियों की स्थापना की गयी है । अवस्थापना सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने, पर्यटन के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु उद्यमियों को भूमि ऊर्जा सम्बन्धी सुविधाएं तथा व्यापार कर, मनोरंजन कर से छूट/आस्थगन प्रदान किया गया है । सुख-साधन कर की सीमा बढ़ाकर रु० एक हजार कर दी गयी है । पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश को दस परिपथों में चिन्हित किया गया है । पर्यटन से जुड़े लोगों तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों को नीति निर्धारण में भागीदार बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पर्यटन सलाहकार समिति तथा मंडल स्तरीय पर्यटन सलाहकार समितियों का गठन किया गया है । पर्यटन उद्योग की समस्याओं के निदान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पर्यटन मित्र का गठन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के समय छात्रों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने की मांग

*1–श्री समर पाल सिंह

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों को समुचित मात्रा में मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान परीक्षा हेतु छात्रों को अलग से मिट्टी तेल उपलब्ध कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है किन्तु शासन द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद को जो मिट्टी तेल का मासिक आवंटन प्रदान किया जाता है, उसमें से जनपद को निर्धारित किये गये स्पेशल आवंटन की मात्रा में से मिट्टी तेल की उपलब्धता के अनुसार छात्रों को भी मिट्टी तेल उपलब्ध कराया जाता है ।

** नोट :–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

प्रदेश में व्यापार कर की दरों में वृद्धि/कमी करने का कारण केन्द्र के समान व्यापार कर व्यवस्था लागू करने से घाटे को पूरा करने की केन्द्र सरकार की भूमिका की जानकारी

*2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की समान व्यापार कर व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में किन-किन वस्तुओं पर व्यापार कर की दरों में वृद्धि हुई हैं और किन वस्तुओं पर व्यापार कर में कमी की गई है ? क्या समान व्यापार कर व्यवस्था लागू करने से प्रदेश के राजस्व में कोई बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार से उसकी भरपाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम एम०-काम०)–

विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में देशभर में समान फ्लोर रेट (न्यूनतम कर की दर) लगाने का निर्णय लिया गया । इस सम्मेलन में समान कर की दर रखने की संस्तुति नहीं की गयी बल्कि वस्तुओं पर न्यूनतम कर की दर के बारे में संस्तुति की गयी थी । अतः इन संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये निम्न प्रकार से व्यापार कर की दरों में वृद्धि एवं कमी की नयी है :–

(क) जनवरी, 2000 से 70वस्तु-समूहों में कर की दर में वृद्धि की गयी है । प्रत्येक वस्तु-समूह में एक या दो से लेकर 40 तक विशिष्ट वस्तुएं शामिल हैं । इनमें मुख्य रूप से मशीनरी, लुब्रिकेन्ट, चाय, टी०वी०, वाशिंग मशीन कपड़े धोने के विभिन्न साबुन, शीरा, टाइप-राइटर, फरनेस आयल तथा अन्य पेट्रोलियम आधारित तेल हैं ।

(ख) कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल द्वारा रेशम व उनसे सम्बन्धित वस्तुओं की कर की दर में कमी किये जाने के कारण उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग को संरक्षण देने के लिये शुद्ध रेशम, रेशमी कपड़ा तथा रेशम मिश्रित कपड़े पर फरवरी, 2000 से कर मुक्ति दी गयी है ।

(ग) व्यापारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये दिनांक 1-4-2000 से 24 वस्तु-समूहों में कर की दर में कमी की गयी है । इनमें से प्रत्येक वस्तु समूह में 1 से 29-30 विशेष वस्तुयें शामिल है । इनमें मुख्य रूप से तांबे के बने बर्तन, उनका भाग, मेवा, रंजक और रंग, फाउन्टेनपेन, बालपेन, मोती, जवाहरात, लोहे की चद्दर से बना आइस बाक्स, बांस-बल्ली, सोने व चांदी के गहने, सोने व चांदी की वस्तुयें, दालें, गुड़, राब इत्यादि हैं जिन पर कर की दरों में कमी की गयी है । इसके अतिरिक्त डबलरोटी, बन्द, रस्क, एयरटाइट पैकेट में बन्द बड़ी को छोड़कर अन्य सोयाबीन बड़ी, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, वैज्ञानिक उपकरण इत्यादि पर कर मुक्ति प्रदान की गयी है ।

(घ) दिनांक 1-5-2000 से सभी प्रकार के मोटर वाहनों तथा दुपहिया वाहनों पर कर की दर 5%, 2% और $7\frac{1}{2}\%$ से बढ़ाकर 12% कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त तेल रहित खली पर कर मुक्ति को समाप्त करके उसे खली की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए 4% की दर से कर लगाया गया ;

कर की दरों में उक्त परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप व्यापार-कर के वार्षिक राजस्व में करीब 157 करोड़, रुपये की वृद्धि होने की सम्भावना है । अभी कर की वास्तविक वृद्धि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि व्यापार-कर अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार 10 लाख रुपये तक के कर योग्य टर्नओवर वाले व्यापारियों को जनवरी, 2000 से मार्च, 2000 तक का त्रैमासिक कर दिनांक

30-4-2000 तक जमा करना था और अभी संग्रह की सूचना प्राप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त दिनांक 1-4-2000 और 1-5-2000 से जो कर की दरों में परिवर्तन किया गया है उस अवधि से सम्बन्धित कर व्यापारियों द्वारा दिनांक 31-7-2000 तक जमा किया जायेगा और उससे पूर्व देय व्यापार-कर की सूचना देने के लिये व्यापारी बाध्य नहीं है ।

राजस्व में वृद्धि की सम्भावना के कारण केन्द्र सरकार से भरपाई करानें का प्रश्न नहीं उठता है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण कोटा पूर्ण न करने की जानकारी

*1–श्री राम ललित चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जनवरी, 1999 से अब तक प्रदेश में कितने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है ? क्या उन नियुक्तियों में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

01 जनवरी, 1999 से प्रदेश में 369 सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है ।

शासकीय अधिवक्ताओं का व्यावसायिक आबन्धन किया जाता है, यह शासकीय सेवा का पद नहीं है । इन पदों पर आरक्षण अधिनियम लागू नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री राम औतार शाक्य–

(6ठें शुक्रवार में तारां०प्र०सं–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

*2–श्री राजधारी–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के आई०पी०एस० संवर्ग में पुलिस महानिदेशक के स्वीकृत पद प्रदेश की वित्तीय संकट को दृष्टिगत रखते हुए निःसम्वर्गीय पदों में कटौती करने की मांग

*3–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में गृह मंत्रालय के मैनुअल के अनुसार पुलिस महानिदेशक के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय के मैनुअल के अनुसार मात्र दो पद महानिदेशक के स्वीकृत हैं ? क्या इसके विरुद्ध एक दर्जन महानिदेशक, डेढ़ दर्जन अपर महानिदेशकों के निःसम्वर्गीय पद सृजित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदेश की गिरती आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अतिरिक्त पदों में कटौती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? पुलिस मैनुअल के अनुसार पुलिस के सारे अधिकार क्या पुलिस महानिरीक्षक में निहित है ? यदि हां, तो महानिदेशकों के उक्त अतिरिक्त पद सृजित करने का क्या औचित्य है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)–

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश आई०पी०एस० संवर्ग के लिए पुलिस महानिदेशक के तीन संवर्गीय पद स्वीकृत किये गये हैं । इसके अतिरिक्त तीन निःसम्वर्गीय पद अपने स्तर से स्वीकृत करने हेतु राज्य सरकार अधिकृत है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

क्योंकि प्रश्नगत पदों का सृजन कार्यहित में किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों/राज्य मंत्रियों द्वारा (दिनांक 1 जनवरी, 1998 से 1 नवम्बर, 1999 तक) चाय नास्ते पर व्यय धनराशि का विवरण/मितव्ययता बरतने की सरकार की नीति की जानकारी

*4–श्री संजय गर्ग तथा श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों द्वारा 1 जनवरी, 1998 से 1 नवम्बर, 1999 तक माह वार कितनी-कितनी धनराशि चाय, नास्ता पर खर्च की गयी है ? क्या सरकार मितव्ययता बरतने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, राज्य मंत्रियों द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 1998 से 01 नवम्बर, 1999 तक चाय, नास्ते पर व्यय की गयी धनराशि का माहवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 47 पर ।)

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त मद में व्यय की गयी धनराशि बजट में आवंटित धनराशि से कम है ।

*5–डा० सरजीत सिंह डंग–

[दिनांक 27-3-2000 को ता० प्र० सं०–6 द्वारा उत्तरित ।

प्रदेश में नगरीय कचरे से बिजली बनाने हेतु ग्लोबल टेण्डर की प्रक्रिया/प्रगति की जानकारी एवं मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की योजना पर सरकारी नीति

*6–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में नगरीय कचरे से बिजली बनाने हेतु ग्लोबल टेण्डर प्रक्रिया अपनायी गई थी ? यदि हां, तो कब तथा उसका क्या परिणाम रहा ? क्या सरकार मेरठ में कचरे से बिजली बनाने की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां ।

वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान (नेडा) द्वारा प्रदेश में नगरीय कूड़े कचरे से बिजली बनाने के क्रम में गत वर्ष ग्लोबल टेण्डर की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसके अन्तर्गत विज्ञापन के माध्यम से विभिन्न निजी उद्यमियों से निविदायें आमंत्रित की गई थी, जिसके सापेक्ष 22 फर्मों द्वारा 44 निविदा प्रपत्र क्रय किये गये थे । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत दो फर्मों द्वारा क्रमशः कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद जनपदों हेतु निविदायें प्रस्तुत की गई थी, जिनका परीक्षण समिति द्वारा किया गया एवं पाया गया कि निविदायें निर्धारित मापदण्ड को पूर्ण नहीं करती । अतः समिति द्वारा निविदा निरस्त करने का निर्णय लिया गया । वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान द्वारा पुनः निविदायें आमंत्रित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है, जिसमें मेरठ में कूड़े-कचरे से बिजली बनाने की योजना भी सम्मिलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में युद्ध में विकलांग हुए सैनिकों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देने की मांग

*7–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध में विकलांग हुये सैनिकों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)–

पात्र विकलांग व्यक्तियों को उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के मुख्य कुसायनी थाना टूण्डला में श्रमिकों की विषाक्त भोजन से मौत के कारणों की जानकारी तथा सरकार से अहेतुक सहायता देने की मांग

*8–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के मुख्य कुसायनी थाना टूण्डला में दिनांक 7-3-2000 को आलू निकासी श्रमिकों द्वारा खेत पर विषाक्त भोजन करने से 40 मजदूर बेहोश हो गये तथा तीन की घटना स्थल पर मौत हो गयी ? यदि हां, तो इस घटना के मुख्य कारण क्या है ? क्या सरकार द्वारा श्रमिकों के परिवार को कोई सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां,

तीन मृतकों में से एक मजदूर की ग्राम उसायनी में ही उपचार के दौरान मृत्यु हो गई तथा दो की उपचार के दौरान जिला चिकित्सालय में मृत्यु हुई ।

घटना के सही कारणों का पता लगाये जाने के कड़े निर्देश पुलिस प्रशासन द्वारा दिये गये हैं । तीनों मृतकों का विसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया । प्रयोगशाला से विसरा परीक्षण रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

मृतको में से मात्र दो व्यक्तियों सुखवीर सिंह यादव व गिरन्द सिंह के विवरण प्राप्त हो सके जिन्हें तत्कालिक रूप से 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करायी जा चुकी है । तीसरे मृतक की पहचान गेदा लाल के रूप में की गयी थी जिसका विवरण प्राप्त नहीं हो सका । शेष 40 श्रमिकों को 500-500 रुपये आर्थिक सहायता वितरित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की साधन सहकारी समितियों के सचिवों को 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान न मिलने की शिकायत/पुनरीक्षित वेतन दिये जाने की मांग

*9–श्री श्रीराम पाल–

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की साधन सहकारी समितियों में कार्यरत सचिवों को 1 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उनको पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान कब तक करा देगी ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी नहीं ।

प्रारम्भिक केन्द्रीयित सेवा निधि में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण वेतन पुनरीक्षण पर आने वाला व्यय भार वहन करना संभव नहीं है ।

उपरोक्त स्थिति में पुनरीक्षित वेतनमान के भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

*10–श्री बी० आर० वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों पर रोक लगाने हेतु सरकारी निर्णय की जानकारी

*11–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियों पर रोक लगाने हेतु सरकार ने अभी हाल ही में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी')–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नान बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियां भारत सरकार के अन्तर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित होती है । इन पर रोक लगाना प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ।

प्रदेश के जेलों में बन्द सांसदों/विधायकों से मुलाकात हेतु विशेष व्यवस्था की जानकारी

*12–श्री काजी मु० मुहीउद्दीन, श्री प्रमोद कुमार, श्री लाल जी वर्मा तथा श्री भगवती प्रसाद सागर–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कारागारों में निरुद्ध माननीय सांसदों एवं माननीय विधायकों के लिये उनके निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से कारागार में मुलाकात करने की कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (चौधरी लक्ष्मी नारायण)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माननीय सांसद एवं विधायक अन्य बंदियों की भांति भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं अन्य कानूनों के अन्तर्गत मा० न्यायालय के आदेशों से कारागारों में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध किये जाते हैं एवं न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध व्यक्तियों के लिए समानता के आधार पर अलग से मुलाकात की व्यवस्था नियमों में नहीं है । समानता एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नगत विशेष व्यवस्था किया जाना उचित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान देने की मांग

*13–श्री रमेश राही तथा श्री अम्बिका चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा वेतनमानों के पुनरीक्षण के संबंध में युक्ति संगत संस्तुति करने के लिए वेतन समिति गठित की गयी थी । वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1997) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार समस्त राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये गये हैं । उसके आधार पर प्रदेश पुलिस के सिपाहियों को भी वेतनमान दिया गया है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा किये जाने की मांग

*14–श्री राम ललित चौधरी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में धान क्रय केन्द्रों के ठीक से न चलने के कारण किसानों को अपना धान व्यापारियों के हाथ कम दामों पर बेचना पड़ रहा है ? क्या सरकार किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिये भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अलावा बोनस की घोषणा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 1999-2000 में 1696 धान क्रय केन्द्र स्थापित किए गए थे, जिनके द्वारा निर्धारित लक्ष्य 50.000 मी० टन धान के सापेक्ष 61.345 मी० टन धान की खरीद सीधे किसानों से की गई, जो विगते वर्षों की अपेक्षा सर्वाधिक है । किसानों को अपना धान व्यापारियों के हाथ कम दामों में बेचना नहीं पड़ रहा है ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय भी भारत सरकार द्वारा लिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सन्त कबीर नगर थाना घनघटा ग्राम कटया के सामन्तों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के मकान जलाने तथा पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता देने की मांग

1–श्री लाल मणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर, थाना घनघटा के अन्तर्गत ग्राम कटया के अनुसूचित जाति के लोगों का मकान गांव के ही सामन्तों द्वारा दिनांक 24-3-99 को जला दिया गया था ? क्या इस सम्बन्ध में मुकामी थाना में मुकदमा अपराध संख्या 126/99 के अन्तर्गत पीड़ित पक्ष द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दर्ज कराया गया ? क्या अभी तक किसी भी अभियुक्त की

गिरफ्तारी नहीं की गयी ? क्या अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पीड़ित पक्ष को आर्थिक सहायता दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

जी हां ।

इस अभियोग में नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके कारण किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया । विवेंचना, गवाहों के बयान घटना स्थल के निरीक्षण तथा अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह पाया गया था कि वादी पक्ष के 13 छप्पर जो अनधिकृत रूप से पशुचर की भूमि पर रखे गये थे । भूमि कब्जा करने के उद्देश्य से उन्हीं लोगों में से या किसी अन्य के द्वारा जला दिया गया तथा गलत नामजदगी कर दी गयी । अतः आर्थिक सहायता का औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद महराजगंज सिसवा बाजार नगर पंचायत कक्ष सं० 12 में दुईजी पुत्री स्व० सुभग को मारे जाने की घटना तथा एफ०आई०आर० दर्ज कराने पर स्वीकृत जांच व उसके परिणामों की जानकारी

2–श्री कोविद कुमार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुईजी पुत्री स्व० सुभग, नगर पंचायत कक्ष सं०–12 सिसवा बाजार (महराजगंज) को श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह व शैलेश कु० मिश्र, मुखलाल ने बुरी तरह मारपीटकर घायल करने पर दुईजी के एफ०आई०आर० पर ग्राम्य विकास मंत्री ने पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को दिनांक 29-4-99 को जांच के लिये लिखा था ?क्या इसकी जांच क्षेत्राधिकारी, निचलौल (महराजगंज) द्वारा दिनांक 3-6-99 को शासन को भेज दी गई है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम हैं ?

श्री राम प्रकाश –

जी नहीं ।

क्षेत्राधिकारी निचलौल की विवेचना के दौरान बयानात गवाहान से अभियुक्त जितेन्द्र बहादुर सिंह का नामजदगी गलत पायी गई । मुखलाल व शैलेश मिश्र के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप-पत्र दिनांक 11-9-98 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जनपद आगरा के थाना ताजगंज के अन्तर्गत मिथलेश नामक युवती का लहूलुहान दशा में जिला अस्पताल में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की जानकारी

3–श्री विजयपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है जनपद आगरा के थाना ताजगंज के अन्तर्गत 7 मार्च, 2000 को लहूलुहान मिथलेश नामक युवती जो बिहार की थी तथा दिगनेर ग्राम में नहर के पास पड़ी हुई मिली थी, की मृत्यु बलात्कार के बाद 10 मार्च, 2000 को जिला अस्पताल आगरा में हुई थी ? यदि हां, तो क्या मृत्यु पूर्व किसी अधिकारी द्वारा उसका बयान लिया गया था ? यदि हां, तो वह बयान क्या था तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 7-3-2000 को कमलेश नामक युवती दिगनेर ग्राम के पास नहर के किनारे घायल अवस्था में मिली थी, की मृत्यु दिनांक 9-3-2000 को रात्रि में एस०एन० अस्पताल, आगरा में हुई । पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है ।

जी हां ।

युवती का मृत्यु बयान अपर मजिस्ट्रेट, नगर आगरा श्री शिव चरन लाल द्वारा दिनांक 8-3-2000 को अंकित किये गये थे । श्रीमती कमलेश ने अपने मृत्यु पूर्व बयान में बताया कि उसे अमर सिंह व उसका जीजा घर से कहीं दूर ले गये तथा गला दबा कर बेहोशी हालत में छोड़ गये घटना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार आगरा में मु०अ०सं०–242/2000 धारा 308 भा० द०वि० पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान उक्त अभियोग धारा 304 भा०द०वि०में तरमीम किया गया । विवेचना से अभियुक्त अमर सिंह व उसका जीजा प्रकाश में आये । अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में श्री बैजनाथ प्रसाद, सहायक मैकेनिक वाराणसी क्षेत्र को प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में मा० श्रम न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन न करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

4–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या–751/टी०एम०/2 के० दिनांक 26 फरवरी, 2000 द्वारा श्री बैजनाथ प्रसाद सहायक मैकेनिक, वाराणसी क्षेत्र को माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-5-99 को क्रियान्वित करने एवं प्रोन्नति देने के सम्बन्ध में प्रधान प्रबन्धक, (पूर्वी मण्डल) वाराणसी को मामले में दोषी कर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जी हां, यथासंभव अनुपालन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, लखनऊ द्वारा वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र जांच के आदेश व कार्यवाही की जानकारी

5–श्री कैलाश सिंह राजपूत–

क्या पंजीयन एवं मानोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि सहायक मनोरंजन कर आयुक्त, लखनऊ द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता से सम्बन्धित श्री राजवीर सिंह के शिकायती पत्र पर दिनांक 28 फरवरी, 2000 को मुख्य मंत्री जी द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

जांच कराई गई तथा शिकायत निराधार पाई गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर, सहजनवां क्षेत्र की साधन सहकारी समिति कटसहरा के मिनी बैंक में हुए घपले गबन सम्बन्धी एफ०आई०आर० में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग

6–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां में साधन सहकारी समिति कटसहरा के अधीन मिनी बैंक (सम्बद्ध कोआपरेटिव बैंक सहजनवां) के घपलों की जांच जिलाधिकारी गोरखपुर के निर्देश पर करायी गयी है और उसमें गबन का आरोप सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो क्या दोषी सचिव एवं संबंधित अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल'–राम कुमार वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गोरखपुर सहजनवां क्षेत्र की साधन सहकारी समिति कटसहरा में मिनी बैंक खोलने एवं संचालन के लिए नियमानुसार कैडर सचिव न रखने की शिकायत/जांच परिणामों की जानकारी

7–श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या साधन सहकारी समितियों में मिनी बैंक (सम्बद्ध कोआपरेटिव बैंक) खोलने हेतु समिति में कैडर सचिव नियमानुसार होना आवश्यक है ? क्या इस नियम का उल्लंघन करते हुए जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड सहजनवां में मिनी बैंक, कटसहरा खोला गया है ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य के लिये दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

प्रश्न में निहित विन्दुओं पर जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश निबन्धक, सहकारी समितियां उ०प्र० लखनऊ को दिये गये हैं ।

मिर्जापुर जिले के झामाठगंज बोफन बरौधा, लालगंज, लइंगपुर, करनपुर, मंडी समिति, चील्ह पड़री पुलिस चौकी थाने की पुलिस द्वारा वाइन इण्ट्री फीस के नाम पर की जा रही अवैध वसूली की शिकायत

8–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले के झामाठगंज, बोफन बरौधा, लालगंज, लइंगपुर, करनपुर, मंडी समिति, चील्ह, पड़री पुलिस चौकी/थाने की पुलिस द्वारा वाइन इण्ट्री फीस के नाम पर प्रतिदिन दस हजार से अधिक अवैध धन की वसूली की जाती है और किसानों का गल्ला एवं भूसा मण्डी तक ले आते वक्त उनसे भी सौ रुपये प्रति वाहन इण्ट्री पीस ली जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करते हुये उक्त वसूली पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव में स्थित इण्ड एग्रो फर्म को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र फर्म स्थापना की जमीन तथा मानकों के विरुद्ध स्लाटरिंग का कार्य प्रारम्भ करने का औचित्य

9–श्री अम्बिका चौधरी–

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में स्थापित इण्ड एग्रो फर्म को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? उक्त फर्म किस प्रकार की जमीन पर स्थापित है ? क्या यह सच है कि उक्त फर्म ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना तथा निर्धारित मानकों के विपरीत स्लाटरिंग (पशुबध जिसमें गोवध भी शामिल है) का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

उक्त उद्योग को 150 टन/दिन फोजन कैन्ट मीट या फल/सब्जियों के उत्पादन हेतु दिनांक 21 जून,1997 को तथा 30 टन/दिन भैंस/भेड़/बकरा प्रजापति का मीट स्लाटरिंग कर उत्पादन हेतु दिनांक 8 दिसम्बर, 1999 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया । उक्त फर्म यू०पी०एस०आई०डी०सी० की जमीन पर स्थापित है ।

जी नहीं । उद्योग द्वारा स्लाटरिंग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है । बोर्ड द्वारा इस उद्योग को जो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है उसमें गोवध शामिल नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के थाना कमलापुर में अपराध संख्या–19/2000 दिनांक 20-3-2000 अन्तर्गत धारा 323/504 में पंजीकृत अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जानकारी

10–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के थाना कमलापुर में अपराध संख्या–19/2000 दिनांक 20-3-2000 अन्तर्गत धारा 323/504 श्री रामपाल पुत्र मुन्ना रैदास निवासी ग्राम चन्देहरा थाना कमलापुर श्री अम्बिका तथा श्री केशव पुत्रगण श्री जंगली पासी तथा श्री केशव पुत्र श्री निवाली के विरुद्ध दर्ज कराया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

उक्त घटना में घायल श्री रामपाल पुत्र मन्ना रैदास एवं प्रदीप पुत्र सालिगराम की चिकित्सा परीक्षण कराये जाने के फलस्वरूप दिनांक 26-3-2000 को इस अभियोग में धारा 325 भा०द०वि० की बढ़ोत्तरी

करते हुये मु०अ०सं०–59/2000 धारा 323/504/325 भा०दं०वि० पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोप-पत्र संख्या–56/2000, दिनांक 21-4-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड बुढ़ाना की साधन सहकारी समिति लि०, बड़ौदा की उर्वरक, नियुक्ति एवं वित्तीय सम्बन्धी विभिन्न अनियमितता की शिकायत जांच बिन्दुओं पर हुई कार्यवाही की जानकारी

11–श्री संजय सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड बुढ़ाना की साधन सहकारी समिति लि०, बड़ौदा की उर्वरक, नियुक्ति एवं वित्तीय सम्बन्धी विभिन्न अनियमितताओं की शिकायतों की जांच शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो जांच के बिन्दु क्या हैं ? जांच की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जायेगी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद अम्बेडकर नगर, थाना अहिरौली, ग्राम मदईपुर मूल निवासी श्री बृजेश त्रिपाठी एडवोकेट की जान-माल की सुरक्षा हेतु उनकी पत्नी निवासी 153/26 लस्करी रकाबगंज, लखनऊ द्वारा दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

12–श्री धर्मराज निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृजेश त्रिपाठी एडवोकेट पुत्र श्री एम०पी० त्रिपाठी, निवासी 153/26, लस्करी रकाबगंज, लखनऊ मूल निवासी ग्राम मदईपुर (पाण्डेय पैकोली) थाना अहरौली, जनपद अम्बेडकर नगर के जान-माल की सुरक्षा हेतु उनकी धर्मपत्नी एवं माता द्वारा दिनांक 7-10-1998 से 3-2-2000 तक प्राप्त शिकायती-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाहियां की गयीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत प्रकरण में श्रीमती सुमन त्रिपाठी पत्नी श्री बृजेश त्रिपाठी एडवोकेट निवासी 153/26, लस्करी रकाबगंज, लखनऊ से प्राप्त शिकायती-पत्र दिनांक 3-2-2000 की जांच क्षेत्राधिकारी कैसरबाग जनपद लखनऊ से करायी गयी । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर, थाना तिलहर में पंजीकृत अपराध सं०–109/88 के अभियुक्तों को दी गयी सजा तथा उनके जेल में निरुद्ध रहने के विवरण की जानकारी

13–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या–109/88 धारा 364/302/20/आई०पी०सी०, थाना–तिलहर, जिला शाहजहांपुर के मुकदमा में कौन-कौन अभियुक्त थे ? घटना क्या थी और उस मुकदमें में किस-किस अभियुक्त की किस न्यायालय से कितनी सजा हुई ? क्या अभियुक्तों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील की ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण दौरान विवेचना ट्रायल अथवा सजा होने के बाद कितने-कितने दिनों तक जेल में रहे ?

श्री राम प्रकाश–

थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०–109/88 में 07 अभियुक्त (1) नरेश पुत्र राम प्रकाश गुप्ता, (2) धनपाल सिंह पुत्र शिवराज सिंह, (3) कोतवाल सिंह पुत्र शिवराज सिंह, (4) रघुनाथ सिंह पुत्र विश्राम सिंह, (5) निस्कू उर्फ रवीन्द्र प्रकाश पुत्र राम सेवक, (6) कश्मीर नट पुत्र बल्लभ बाज नट, (7) शिवराज सिंह पीटी०आई उर्फ खलीफा पुत्र बाबू सिंह प्रकाश में आये थे ।

अभियुक्तों की बेईमानी से 120 बोरी चीनी हड़प कर नौकर ज्ञानेन्द्र कुमार पाण्डे की हत्या कर लाश को फेंकने का आरोप है ।

उक्त अभियोग में किसी अभियुक्त को कोई सजा नहीं हुई है मुकदमा मा० न्यायालय एस०जे० द्वितीय शाहजहांपुर के यहां विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(1) अभियुक्त नरेश की गिरफ्तारी दिनांक 13-7-88 को हुई तथा जमानत दिनांक 19-4-94 को हुई ।

(2) धनपाल सिंह के विरुद्ध 82/83 सी आर०पी०सी० के अन्तर्गत दिनांक 29-2-89 को कार्यवाही की गयी ।

(3) कोतनवाल सिंह के विरुद्ध 82/83 सी आर०पी०सी० की कार्यवाही दिनांक 28-2-89 को हुई ।

(4) रघुनाथ सिंह दिनांक 27-6-89 हाजिर अदालत हुआ तथा जमानत दिनांक 7-7-89 को हुई ।

(5) निस्कू उर्फ रवीन्द्र प्रकाश दिनांक 28-8-88 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 24-10-88 को जमानत पर रिहा हुआ ।

(6) कश्मीर नट दिनांक 10-3-89 को हाजिर न्यायालय हुआ तथा दिनांक 20-3-89 को जमानत पर रिहा किया गया ।

(7) शिवराज सिंह उर्फ पीटीआई दिनांक 1-8-88 को जिला कारागार मैनपुरी आया तथा दिनांक 8-8-88 को जिला कारागार, मैनपुरी से स्थानान्तरित होकर दिनांक 9-8-88 को जिला कारागार, शाजहांपुर में आया एवं दिनांक 26-8-88 को जिला कारागार शाहजहांपुर से जमानत पर रिहा किया गया ।

जिला नैनीताल हल्द्वानी स्थित बाला जी स्टोन क्रेशर लि० की इमारत मन्दिर से बहुत कम दूरी पर होने के कारण जय श्रीराम स्टोन क्रेशर से मिली दीवाल को देखते हुए फैक्ट्री के लाइसेंस जारी करने की जांच की मांग

14–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी, जिला नैनीताल स्थित बालाजी स्टोन क्रेशर लि० की इमारत मन्दिर से 200 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और उसकी दीवार जय श्रीराम स्टोन

क्रेशर से मिली हुई है जबकि नियमानुसार ऐसी कोई फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री से कम से कम 200 मीटर और किसी मन्दिर, मस्जिद, स्कूल एवं धर्मशाला से कम से कम 01 किलोमीटर दूर होनी चाहिए ? क्या सरकार उक्त फैक्ट्रियों को जारी किये गये लाइसेंस के मामले की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

मै० बाला जी स्टोन क्रेशर लि० के क्रेशर की दूरी मन्दिर से 450 मीटर है और उसकी दीवार जय श्री राम स्टोन क्रेशर से मिली हुई नहीं है । बाला जी स्टोन क्रेशर से जय श्री राम स्टोन क्रेशर की बाउण्ड्री की दूरी 70 मी० है तथा क्रेशर से क्रेशर की दूरी 200 मीटर है । मन्दिर, मस्जिद, स्कूल एवं धर्मशाला से नये स्टोन क्रेशर की दूरी के बारे में नियमों में यद्यपि कोई प्राविधान नहीं है फिर भी इन पर कोई प्रभाव न पड़े इसके लिए स्टोन क्रेशर को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देते समय इन स्थलों से समुचित दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध में ध्यान रखा जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल, काशीपुर स्थित हिमालय स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं हिन्दुस्तान स्टोन कम्पनी के लिए जारी लाइसेंस में घनी आबादी आदि को नजरअन्दाज करने की जांच की मांग

15–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि काशीपुर, जिला नैनीताल स्थित हिमालय स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं हिन्दुस्तान स्टोन कम्पनी के लिए लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं जबकि यह फैक्ट्रियां नियमानुसार मेन रोड तथा घनी आबादी से निर्धारित दूरी पर न होकर मेन रोड के समीप स्थित हैं ? यदि हां, तो इनके लिए लाइसेंस जारी किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

मै० हिमालय स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं मै० हिन्दुस्तान स्टोन कम्पनी को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रमशः दिनांक 8-7-85 एवं दिनांक 7-2-87 को सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये है । अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय उद्योग स्थल के आस-पास आबादी नहीं थी । इन दोनों उद्योगों के संयंत्र सड़क से क्रमशः लगभग 400 फीट एवं 250 फीट दूरी पर स्थित हैं, जो नियमानुसार उचित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला नैनीताल हल्द्वानी स्थित लालकुआं स्टोन क्रेशर लि० तथा बालाजी स्टोन क्रेशर लि० एवं काशीपुर स्थित मल्टीवाल पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज व श्री श्याम पेपर बोर्ड के पूर्व में लाइसेन्स रद्द करने के बाद भी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनः जारी करने का उद्देश्य/जांच की मांग

16–श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी, जिला नैनीताल स्थित लालकुआं स्टोन क्रेशर लि० तथा बालाजी स्टोन क्रेशर लि० एवं काशीपुर स्थित मल्टीवाल पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज व श्री श्याम पेपर बोर्ड के पूर्व में रद्द किये गये लाइसेंस को सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पुनर्विचारोपरान्त जारी कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त लाइसेंस किन आधारों पर रद्द किये गये थे ? लाइसेंस पुनः जारी किये जाने का क्या आधार है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

उ० प्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में एक तकनीकी समिति है । प्रकरण सर्व प्रथम तकनीकी समिति को संदर्भित होता है । समिति की संस्तुतियों के आधार पर सदस्य सचिव, अध्यक्ष को अनुमोदनार्थ पत्रावली प्रस्तुत करते हैं । अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् ही सदस्य सचिव द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जाता है । मै० लालकुआं स्टोन क्रेशर लि० को पूर्व में दिनांक 17-9-90 को सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था । इसके उपरान्त् दिनांक 9-4-99 को क्षमता विस्तारीकरण हेतु प्रेषित आवेदन को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगायी गयी शर्तों का अनुपालन न करने के कारण रद्द किया गया क्योंकि उद्योग द्वारा बाउण्ड्रीवाल, पक्की रोड, फौव्वारे नहीं लगाये गये थे । उद्योग द्वारा बाउण्ड्रीवाल, फौव्वारे लगा लेने एवं मेटलिक रोड बनाने हेतु रु० 50,000/- की बैंक गारन्टी उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लेने के उपरान्त उद्योग को क्षमता विस्तारीकरण हेतु सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 16-10-99 को प्रदान किया गया ।

मै० बालाजी स्टोन क्रेशर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्थल उपयुक्त न होने के कारण दिनांक 16-2-99 को अस्वीकृत किया गया था । उद्योग द्वारा स्थल परिवर्तन करने के उपरान्त उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 22-7-99 को निर्गत किया गया । मै० मल्टीवाल पेपर बोर्ड इण्डस्ट्रीज को उत्प्रवाह शुद्धिकृत संयंत्र का सुदृढ़ीकरण न करने के कारण दिनांक 3-6-98 को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया । उद्योग द्वारा एनोरोबिक डाइजेस्टर बनाने का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त पत्र दिनांक 13-8-99 द्वारा उद्योग के बंदी आदेश को दिनांक 31-3-2000 तक सशर्त निलम्बित किया गया तथा इस हेतु रु० 1.00 लाख की बैंक गारन्टी भी ली गयी । उद्योग द्वारा एनोरोबिक डाइजेस्टर का निर्माण एवं संचालन निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कर लिया गया है ।

मै० श्री श्याम पेपर बोर्ड को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 26-10-98 को उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का कार्य पूर्ण न होने के कारण बन्दी आदेश निर्गत किया गया । उद्योग से दो एनोरोबिक डाइजेस्टर के निर्माण हेतु रु० 50,000/- की बैंक गारन्टी लेने के उपरान्त उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 11-3-99 द्वारा दिनांक 31-3-99 तक बन्दी आदेश को स्थगित किया गया किन्तु उद्योग द्वारा निर्धारित अवधि में एक एनोरोबिक डाइजेस्टर न बनाने के कारण उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बैंक गारन्टी जब्त कर ली गयी एवं उद्योग को दिनांक 10-5-99 को जारी बन्दी आदेश पुनः दिनांक 1-4-99 से प्रभावी होने की सूचना दी गयी । उद्योग के अनुरोध पर दूसरे एनोरोबिक डाइजेस्टर के निर्माण के प्रस्ताव के अनुसार बन्दी आदेश को शर्तों के साथ दिनांक 31-12-99 तक निलम्बित किया गया । उद्योग द्वारा दोनों एनोरोबिक डाइजेस्टरों का निर्माण एवं संचालन कर लिया गया है । सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त कार्यवाहियां सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर की गयी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में सहकारिता सुपरवाइजर श्री नकछेद की मृत्यु के उपरान्त देय अवशेषों के भुगतान की मांग

17–श्री शब्बीर अहमद–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में सहकारिता सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत श्री नकछेद पुत्र अब्दुल शकूर की दिनांक 10-1-95 को मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके अवशेष धनराशि बीमा, जमानत राशि, नकदीकरण, ग्रेच्युटी व पी०एफ० का भुगतान मृतक आश्रितों को करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उसका भुगतान कब तक करा देगी ?

'पटेल' राम कुमार वर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

स्व० श्री नकछेद के परिवार के छः सदस्य हैं । अतः स्व० नकछेद के उत्तराधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी (सिविल जज) से प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त भुगतान किया जा सकेगा ।

जनपद एटा के थाना शहर कोतवाली में एक दलित महिला एवं बच्चे की हत्या के दर्ज एफ० आई० आर० में नामित अभियुक्तों को न पकड़ने का कारण/गिरफ्तारी की मांग

18-श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के थाना शहर कोतवाली में दिनांक 19-2-2000 को 8 बजे सुबह एक दलित महिला एवं उसके बच्चे की हत्या कर दिये जाने का मुकदमा अंकित कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

नामित अभियुक्तों में से मात्र एक अभियुक्त गयादीन गुप्ता को छोड़कर अन्य की गिरफ्तारी शेष है ।

श्रीमती प्रेमा देवी व उसके पुत्र रजत की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०-104/2000 बनाम 05 अभियुक्तों ग्रीश चन्द्र मिश्रा, गयादीन गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, बुद्धसैन गुप्ता व कुलदीप शर्मा के विरुद्ध मृतका के पति रोहन लाल ने पंजीकृत कराया । इसी हत्या के संबंध में उक्त केस के अभियुक्त गयादीन गुप्ता ने थाना कोतवाली पर क्रास केस मु०अ०सं०-104ए/2000 बनाम शिशुपाल सिंह यादव इत्यादि 07 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । हत्या की घटना के बाद तोड़-फोड़ व लूट-पाट की घटनायें हुई जिनके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं–105 तथा 105ए/2000 पंजीकृत कराये गये । इन अभियोगों के गवाह विवेचक के समक्ष बयान अंकित नहीं करा रहे हैं क्योंकि यह सभी गवाह अन्य मुकदमों में नामजद अभियुक्त हैं और घर से भागे हुए हैं । साक्ष्य संकलन होते ही सही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जायेगी ।

जिला पीलीभीत, थाना हजारा, ग्राम कबीरगंज में बालक निसरत उर्फ सन्नी की हत्या होने के उपरान्त दर्ज मुकदमें में कृत कार्यवाही की जानकारी

19–श्री सौलत अली एडवोकेट–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–14 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29-6-1998 व 2-7-1998 व 5-7-1998 व 9-7-1998 तथा 10-8-1998 को मृतक के परिवार जनों और गवाहों द्वारा उच्चाधिकारियों को जो प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनमें स्पष्ट रूप से बलविन्दर और निक्का को हत्या का अभियुक्त नामजद किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो फिर निसरत उर्फ सन्नी के हत्यारे कौन हैं और इस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

अभियोग की विवेचना से बलविन्दर व निक्का के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

विवेचना से अभियोग के वादी फिरोज खां व साक्षी सुरेश पर सन्नी की हत्या किये जाने की संदिग्धता प्रतीत हुई, परन्तु उक्त दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण दोनों का चालान न्यायालय नहीं किया जा सका । संदिग्धता के आधार पर ही वादी फिरोज खां व सुरेश साक्षी के विरुद्ध नक्शा वाइस्तवा प्रेषित करते हुए अंतिम रिपोर्ट संख्या–11 द्वारा दिनांक 16-11-99 को विवेचना समाप्त की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के पडरौना व खड्डा कस्बे में सौर ऊर्जा से संचालित जल संयंत्र को चालू कराने की मांग

20–श्री दीपलाल भारती–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया के पडरौना व खड्डा कस्बे के दलित बस्ती में सौर ऊर्जा संचालित जल संयन्त्र पूर्व में लगाया गया था जो बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उसे ठीक कराकर कब तक चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से वर्ष 1982 में जनपद कुशीनगर के खड्डा कलां के दक्षिण हरिजन बस्ती व नगर पालिका पडरौना के हाथीसार नौका टोला एवं तुरडा टोला में सौर ऊर्जा चालित पम्प स्थापित कराये गये थे । सौर ऊर्जा पम्प के सभी संयंत्र निष्प्रयोज्य हो चुके हैं, जिनको क्रियाशील किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद एटा थाना कोतवाली में प्रेमा देवी व उसके पुत्र रजत की हत्या में नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किये जाने की मांग

21–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली नगर एटा जनपद–एटा में प्रेमा देवी व उसके 5 वर्षीय पुत्र रजत की हत्या में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 19-2-2000 को एफ०आई०आर० दर्ज होने के उपरान्त अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्रीमती प्रेमा देवी व उसके पुत्र रजत की हत्या के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०–104/2000 बनाम 05 अभियुक्तों ग्रीश चन्द्र मिश्रा, गयादीन गुप्ता, धीरेन्द्र सिंह सोलंकी, बुद्धसेन गुप्ता व कुलदीप शर्मा के विरुद्ध मृतका के पति रोहन लाल ने पंजीकृत कराया ।

नामित अभियुक्तों में से 01 अभियुक्त गयादीन गुप्ता को दि० 19-2-2000 को ही गिरफ्तार किया जा चुका है । इसी हत्या के संबंध में उक्त केस के अभियुक्त गयादीन गुप्ता ने थाना-कोतवाली नगर पर क्रास केस मु०अ०सं०–104ए/2000 बनाम शिशुपाल सिंह यादव इत्यादि 07 लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराया । हत्या की घटना के बाद तोड़-फोड़ व लूट-पाट की घटनायें हुईं जिनके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०–105 तथा 105ए/2000 पंजीकृत कराये गये इन अभियोगों के गवाह विवेचक के समक्ष बयान अंकित नहीं करा रहें हैं क्योंकि ये सभी गवाह अन्य मुकदमों में नामजद अभियुक्त हैं और घर से भागे हुए हैं । साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त सही अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के लालगंज से इलाहाबाद, मेजा, शिवमूर्ति नगर होकर के बस चलाने की मांग

22–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मिर्जापुर के लालगंज से इलाहाबाद, मेजा आवागमन के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत बस सेवा इलाहाबाद से लालगंज होकर शिवमूर्ति नगर हेतु संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी नहीं । जनपद मिर्जापुर के लालगंज से मिर्जापुर, मांडा रोड, मेजा रोड होते हुये इलाहाबाद जाने हेतु परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० पुलिस में कार्यरत आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह जनपद की सीमा पर नियुक्त करने के औचित्य की जानकारी

23–श्री बाल चन्द्र मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० पुलिस में कार्यरत आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं राजपत्रित अधिकारियों को उनके गृह जनपद की सीमा पर नियुक्त किये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो उप निरीक्षक एवं निरीक्षक को उनके गृह जनपद की सीमा पर नियुक्त न करने का कारण क्या है ? क्या उप निरीक्षक एवं निरीक्षक को भी आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं राजपत्रित अधिकारियों की भांति समान सेवा अनुपालन हेतु शासन स्तर द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उ० प्र० पुलिस में कार्यरत आरक्षी, मुख्य आरक्षी एवं राजपत्रित अधिकारियों को गृह जनपद में न नियुक्त किये जाने का प्राविधान है । आरक्षी व मुख्य आरक्षी को गृह जनपद के समीपवर्ती जनपदों के समीपवर्ती थानों में न तैनात किये जाने के भी आदेश हैं ।

उप निरीक्षक, निरीक्षक ना० पु० एवं निरीक्षक ना० पु० को शासनादेश संख्या–5001/आठ–1-86 दिनांक 11-7-86 के अनुसार उनके गृह जनपद/परिक्षेत्र तथा जनपद के सीमावर्ती जनपदों में तैनात नहीं किये जाने के निदेश हैं ।

जी नहीं ।

उप निरीक्षक के उत्तरदायित्व व कार्य प्रकृति आरक्षी, मुख्य आरक्षी तथा राजपत्रित अधिकारियों से भिन्न है । तद्नुसार स्पष्ट निर्देश उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

पेट्रोल/डीजल वाहनों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने की निर्धारित फीस के फलस्वरूप वसूली गयी धनराशि की जानकारी

24–श्री प्रदीप कुमार तथा श्री संजय गर्ग–

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि दोपहिया वाहन तथा मोटर कार हेतु क्रमशः रु० 20 तथा रु० 60 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु वाहन धारकों से वसूली जाती है ? यदि हां, तो जनवरी, 2000 से 15 मार्च, 2000 तक लखनऊ महानगर में प्राप्त की गयी धनराशि कितनी है ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

दोपहिया वाहन तथा मोटर कार सहित अन्य प्रकार की पेट्रोल/डीजल वाहनों का प्रदूषण प्रमाण-पत्र जारी करने की निर्धारित फीस रु० 20/–है ।

रु० 20/–निर्धारित फीस की दर पर आलोच्य अवधि में रु० 1,45,270/–की धनराशि वाहन स्वामियों से वसूल की गयी है ।

वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पुलिस कर्मियों की याचिका तथा पुनरीक्षित वेतनमान/बकाया एरियर आदि के निस्तारण व भुगतान की मांग

25–श्री राम कृपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत जनवरी, 1996 से पुलिस कर्मियों का मूल वेतन (जो रु० 925 से शुरू था) रु० 4000–100–6000 के क्रम में निर्धारित किये जाने हेतु क्या माननीय उच्च न्यायालय ने जनवरी, 1996 से एरियर (बकाया भुगतान) दिये जाने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

रिट याचिका सं०–3223/99 राम लाल चौरसिया बनाम राज्य सरकार में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह आदेश दिये गये हैं कि याची द्वारा प्रतिवादी सं०–2 अर्थात् प्रमुख सचिव वित्त को यदि प्रत्यावेदन दिया जाता है तो उसका निस्तारण 4 सप्ताह के भीतर कर दिया जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ में (20 दिसम्बर, 1997 से 20 मार्च, 2000 तक हुई) अपहरण/राहजनी/डकैती/हत्या/बलात्कार के दर्ज मामले/अपराधों को नियंत्रित करने की सरकारी कार्य योजना की जानकारी

26–डा० ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में 20 दिसम्बर, 1997 से 20 मार्च, 2000 तक अपहरण, राहजनी, डकैती व हत्याओं, बलात्कार के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा उक्त अवधि में इनका औसत बढ़ा है ? यदि हां, तो क्या कानून व्यवस्था सुधारने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ की आख्या के अनुसार दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 से 20 मार्च, 2000 तक जनपद अलीगढ़ में अपहरण के 112, राहजनी के 447, डकैती के 71 तथा हत्या के 502 एवं बलात्कार के 115 मामले दर्ज हुए हैं ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्राप्त आख्या के अनुसार अलीगढ़ जनपद में दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 से 20 मार्च, 2000 तक विगत वर्ष की अपेक्षा इन अपराधों का औसत बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

27–डा० ज्ञानवती सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मैनपुरी में स्टाम्प वेण्डरों पर लगी रोक/नियमों में शिथिलता देकर स्टाम्पों की सीमा बढ़ाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

28–श्री राम औतार शाक्य–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में स्टाम्प वेण्डरों पर लगी रोक एवं उन्हें नियमों में शिथिलता देकर स्टाम्पों की सीमा बढ़ाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्रांक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/ 32014/मैनपुरी/2000, दिनांक 14-3-2000 के साथ प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अभिसूचना विभाग में अराजपत्रित कर्मियों रोटेशन से पुलिस की अन्य शाखाओं में स्थानान्तरण की नीति विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

29–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अभिसूचना विभाग में अराजपत्रित कर्मियों को भी रोटेशन से पुलिस की अन्य शाखाओं में स्थानान्तरण की नीति बनाये जाने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/31998/ मैनपुरी/2000, दिनांक 13-3-2000 के साथ प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के थाना अहिरौली में दर्ज अपराध संख्या–37/99 धारा–419/420 के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

30–श्री लालजी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के थाना अहिरौली में दर्ज अपराध संख्या–37/99 धारा–419/420 भा०द०वि० में अभियुक्तों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

विवेचनोपरान्त राम उजागिर आदि 9 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आरोप-पत्र दिनांक 29-4-2000 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

31–श्री हरपाल सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद बलिया में स्थित चितबड़ा गांव थाना के अन्तर्गत हत्या तथा हत्याभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

32–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में स्थित चितबड़ा गांव थाना अन्तर्गत दिनांक 30-12-99 को 7.00 बजे जयराम सिंह पुत्र लालजी सिंह की हत्या हुई थी ? क्या मृतक जयराम सिंह द्वारा गोली लगने के बाद दिये गये बयान के उपरान्त महात्म सिंह को धारा 302/120/बी के तहत मुजरिम बनाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकरण की जांच की है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

मृतक श्री जयराम सिंह का बयान मजिस्ट्रेट/चिकित्सक के समक्ष मृत्यु से पूर्व नहीं हुआ था । केवल विवेचक द्वारा ही श्री जय राम सिंह के बयान के आधार पर महात्म सिंह को इस घटना के षड़यन्त्र में शामिल होने की बात प्रकाश में आयी थी ।

इस सम्बन्ध में विवेचना के दौरान कोई अन्य साक्ष्य न मिलने के कारण महात्म सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

जनपद बहराइच थाना जरवल रोड, ग्राम पारा में श्री बालक राम यादव प्रधान की हत्या की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा कराने तथा जांच के परिणामों की जानकारी

33–श्री सरवर अली खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि 11 अक्टूबर, 1999 को श्री बालक राम यादव प्रधान निवासी ग्राम पारा थाना जरवल रोड जिला बहराइच की दिन दहाड़े हत्या कर दिये जाने की दर्ज प्राथमिकी थाना जरवल रोड में मु०अ०सं० 308/99 धारा 147, 148, 149, 504, 302 दिनांकित 11 अक्टूबर, 1999 की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है ? जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं पूरी हुई, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं । जांच अभी प्रचलित है ।

जांच प्रचलित है जिसमें समय लगना स्वाभाविक है, जांच आख्या आने पर ही निष्कर्ष ज्ञात हो सकेगा ।

जनपद बदायूं थाना गुन्नौर, निवासी, ग्राम दबथरा में श्री लालाराम प्रधानाध्यापक की हत्या तथा नामित को गिरफ्तार करने की मांग

34–श्री राम खिलाड़ी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री लालाराम प्रधानाध्यापक ग्राम निवासी दबथरा, थाना–गुन्नौर, जनपद–बदायूं की दिनांक 22-4-98 को गुलफान पुत्र डूगर, हरी सिंह पुत्र पीताम्बर, चन्द्र प्रकाश पुत्र टोड़ी, निवासीगण दबथरा हिमंचल थाना–गुन्नौर द्वारा हत्या कर दी गई थी ? क्या यह सही है कि उसकी प्रथम सूचना सं०–64 दिनांक 22-4-98 को अपराध सं०–86/98 धारा 147, 148, 149, 307, 302, आई०पी०सी० के अन्तर्गत थाना–गुन्नौर में दर्ज हैं ? यदि हां, तो क्या नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 22-4-98 को श्री दुर्वेश कुमार पुत्र स्व० लालाराम यादव निवासी ग्राम दफ्तरा श्याम थाना गुन्नौर की सूचना पर मु०अ०सं०–86/98 धारा 147/148/149/307/302 भा०द०वि० बनाम चन्द्र प्रकाश पुत्र टोड़ी, हरी सिंह पुत्र पीताम्बर गुलफाम पुत्र डूगर निवासीगण ग्राम दफ्तरा हिमंचल, सोहन पाल पुत्र बृज लाल, विजय पुत्र राम जी मल निवासी ग्राम करणवास कस्बा बबराला थाना गुन्नौर जिला बदायूं पर पंजीकृत हुआ था ।

जी हां ।

नामित अभियुक्त विजय की मृत्यु हो गयी, अभियुक्त चन्द्र प्रकाश को अवैध तमंचे सहित दिनांक 22-4-98 को ही गिरफ्तार किया गया था । दिनांक 25-4-98 को अभियुक्त सोहन लाल न्यायालय के समक्ष हाजिर होकर जेल गया था । फरार रहने के कारण अभियुक्त हरी सिंह व गुलफाम के विरुद्ध धारा 82/83 द०प्र०सं०– की कार्यवाही दिनांक 27-5-98 को की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत अपराध संख्या–196/99 की विवेचना तथा नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की मांग

35–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपराध संख्या 196/99 थाना–कोतवाली नगर बांदा जनपद बांदा में किस धारा के अन्तर्गत और किसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ और बाद में किन धाराओं में तरमीम किया गया ? उसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मुकदमा पंजीकृत होने के पश्चात् किस-किस विवेचक द्वारा विवेचना की गई और क्या अभी तक नामित/वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

अभियोग अपराध संख्या–196/99 थाना कोतवाली नगर बांदा में धारा 498ए/306 भा०द०वि० विरुद्ध राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक पंजीकृत हुआ था और बाद में सी०जे०एम०, बांदा के आदेशों के अनुपालन में विवेचक श्री एस०पी० सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर, बांदा द्वारा दिनांक 1-5-99 को अभियोग में धारा–302 भा०द०वि० की वृद्धि की गयी ।

उक्त अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात् सर्वप्रथम श्री एस०पी० सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली नगर, बांदा द्वारा विवेचना की गयी । तत्पश्चात् पुलिस अधीक्षक, बांदा की संस्तुति पर उक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग को सौंपी गयी । वर्तमान में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 22-11-99 के अनुपालन में उक्त अभियोग की विवेचना सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है ।

जी नहीं । वर्तमान में इस मामले की विवेचना सी०बी०आई० द्वारा की जा रही है ।

जनपद मैनपुरी थाना बेवर में सी०बी० नं०–221/99 के अन्तर्गत दर्ज महिला की सिर कटी लाश के प्रकरण में हुई जांच व उसके परिणामों की जानकारी

36–श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी०बी० नं० 221/99 थाना–बेवर जनपद मैनपुरी की महिला की सिर कटी लाश के प्रकरण में सी०बी०सी०आई०डी० से जांच के आदेश किये जाने से

पूर्व क्या उक्त जांच आई०जी० ज़ोन कानपुर द्वारा भी करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी हां ।

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन ने अपने पत्र दिनांक 1-4-99 में यह अवगत कराया है कि प्रकरण की जांच निरीक्षक दस्यु उन्मूलन अभियान श्री रवीन्द्र वर्मा द्वारा करायी गयी । निरीक्षक ने जिन व्यक्तियों से बयान लिए उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि सिर कटी लाश एक महिला की थी ।

पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर जोन ने अपने पत्र दिनांक 30-4-99 में यह अवगत कराया कि जब प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मैनपुरी द्वारा स्वयं की गयी तो जिन व्यक्तियों ने पहले एक अज्ञात महिला की लाश की पुष्टि की थी उन्हीं व्यक्तियों ने लाश के सम्बन्ध में अनभिज्ञता प्रकट की । वर्तमान में प्रकरण की जांच सी०बी०सी०आई०डी० द्वारा की जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर वास्तविकता का पता लग सकेगा ।

पुलिस कर्मियों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली बनाने की मांग

37–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस कर्मियों पर क्या उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली लागू है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस ऐक्ट 1861 की धारा–2 के अधीन विभिन्न श्रेणी के पुलिस कर्मियों के ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों एवं पुलिस रेग्यूलेशन में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

38–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर, विकास खण्ड नारायनपुर न्याय पंचायत क्षेत्र देवरिया में सम्मिलित ग्रामों के लिए चीनी, मिट्टी का तेल आदि का आवंटन नये राशन कार्डों के लिए सुनिश्चित कराने की मांग

39–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि न्याय पंचायत क्षेत्र–देवरिया, विकास खण्ड–नरायनपुर जनपद–मिर्जापुर में सम्मलित ग्राम पंचायतों/ग्रामों की ए०पी०एल०/बी०पी०एल० कार्डों की सूची खण्ड विकास अधिकारी, नरायनपुर द्वारा पत्रांक सं० 246 दिनांक 2-8-99 के तहत उप जिलापूर्ति अधिकारी, चुनार जनपद मिर्जापुर को उपलब्ध करा दी गई हैं ? क्या नये राशन कार्डों के अनुसार प्रश्नगत गांवों में खाद्यान्न, चीनी, किरोसिन तेल आदि का आवंटन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार प्रश्नगत गांवों में नये राशन कार्डों के अनुसार तत्काल प्रभाव से आवंटन सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद अन्तर्गत हेड कांस्टेबिल स्व० रूप कुमार के मृतक आश्रित राजू को सेवा में लिए जाने की मांग

40–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हेड कांस्टेबिल स्व० रूपकुमार की मृत्यु पर आश्रित पुत्र राजू को सेवायोजित किये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद का पत्र संख्या–दस–142/270-97 दिनांक 30-7-98 संयुक्त सचिव, उ० प्र० शासन (गृह) पुलिस अनुभाग–10 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित को सेवायोजित किये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

उ० प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (यथासंशोधित) के नियम–5(1) के अन्तर्गत स्व० हेड कांस्टेबिल रूप कुमार के आश्रित पुत्र राजू के मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित 5 वर्ष की समय सीमा में छूट का प्रस्ताव उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–दस–142(270)-97, दिनांक 30-8-98 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है एवं इसकी सूचना उ० प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के माध्यम से आवेदक श्री राजू को दे दी गयी है।

जिला मेरठ, राधा गार्डन कालोनी मवाना रोड, निवासी श्रीमती कमलेश का सम्मिलित राज्य सिविल सेवा परीक्षा, 1985 द्वारा चयनित सेवा के सैन्य विनियोजित अधिकारियों को वरिष्ठता प्रदान करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

41–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह तथा श्री राम चन्द्र बाल्मीकि, राज्य मंत्री द्वारा आदेशित श्रीमती कमलेश पत्नी श्री जयराम सिंह, नि०सी–208, राधागार्डन कालोनी, मवाना रोड, मेरठ के प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-5-98, 30-6-98, 11-3-99, 2-12-99 जोकि सम्मिलित राज्य सिविल सेवा परीक्षा, 1985 द्वारा चयनित वित्त सेवा के सैन्य विनियोजित अधिकारियों को वरिष्ठता प्रदान करने के सम्बन्ध में थे, प्रमुख सचिव, वित्त को प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

केवल प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-5-98, 30-6-98 व 11-3-99 प्राप्त हुए हैं।

मामले में कार्मिक व न्याय विभाग के परीक्षण के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गाजीपुर, दिलदार नगर रेलवे स्टेशन पर आर०पी०एफ० के सिपाही द्वारा गोली चलाने पर श्री अरुण पाण्डेय की हत्या तथा मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग

42–श्री सिंहासन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13 मार्च, 2000 को दोपहर 2 बजे दिलदार नगर जनपद गाजीपुर में एक निर्दोष व्यक्ति अरूण पाण्डेय निवासी नूरपुर जनपद गाजीपुर की हत्या आर०पी०एफ० के सिपाही सरताज अहमद द्वारा गोली मारकर कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या श्री अरुण पाण्डेय के परिवार को आर्थिक सहायता तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 13 मार्च, 2000 को रेलवे स्टेशन दिलदार नगर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत हुई घटना में आर०पी०एस०एफ० के सिपाही सरताज अहमद द्वारा गोली चलाये जाने के फलस्वरूप एक व्यक्ति अरुण कुमार पाण्डेय की मृत्यु हुई है । उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई अजय कुमार पाण्डेय द्वारा अपराध संख्या–55/2000 धारा 302 भा०द०वि० तथा आर०पी०एस०एफ० के मुख्य आरक्षी 7609 श्री मुन्नी लाल द्वारा अपराध संख्या 55ए/2000. धारा–145/146/150/151/152/153/174 रेलवे अधिनियम व 395/307/353/332/336/436/427/504/506 भा०द०वि० व 7 क्रिमिनल लॉ एमेडमेन्ट ऐक्ट के अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं तथा उक्त दोनों अभियोगों की विवेचना प्रचलित है ।

मृतक अरुण कुमार पाण्डेय तथा उनके भाई अजय कुमार पाण्डेय एवं अन्य अ०सं० 55ए/2000 में अभियुक्त हैं, जिन पर आगजनी व तोड़-फोड़ करके रेलवे की लगभग रुपये 8 करोड़ की सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप है । अतएव ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता का औचित्य नहीं बनता है । अ०सं०–55/2000 धारा 302 भा०द०वि० में नामजद आर०पी०एस०एफ० के आरक्षी सरताज अहमद की गिरफ्तारी दिनांक 13-3-2000 को की जा चुकी है ।

जनपद महोबा में मिट्टी के तेल के डीलरों की संख्या तथा तेल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग

43–डा० छोटे लाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में मिट्टी के तेल के कितने डीलर हैं ? महीने में प्रत्येक डीलर का कितने लीटर तेल का कोटा निर्धारित है ? क्या मानक के अनुसार डीलरों द्वारा तेल का वितरण किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद महोबा में मिट्टी के तेल के कुल तीन डीलर हैं ।

महीने में प्रत्येक डीलर का कोटा निम्नवत् निर्धारित है :–

1–मै० जवाहर लाल एण्ड ब्रदर्स महोबा	270 के०एल०
2–मै० छेदा लाल एण्ड सन्स, महोबा	185 के०एल०
3–मै० माँ केरोसिन एजेंसी, चरखारी	180 के०एल०
जनपद का कुल मासिक कोटा	635 के०एल०

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा के चरखारी क्षेत्र के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों से प्रतिमाह मिट्टी के तेल आवंटन की जानकारी

44–डा० छोटेलाल वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महोबा में चरखारी विधान सभा के अन्तर्गत सस्ते गल्ले के कोटेदारों को मिट्टी के तेल का आवंटन जनसंख्या के हिसाब से प्रतियूनिट कितना आवंटित किया जाता है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मिट्टी के तेल का आवंटन जनसंख्या के हिसाब से प्रति यूनिट नहीं किया जाता है बल्कि मिट्टी तेल का आवंटन प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह के हिसाब से किया जाता है । जनपद महोबा के चरखारी विधान सभा क्षेत्र के सस्ते गल्ले के कोटेदारों को 281 कि०ली० मिट्टी का तेल प्रतिमाह आवंटित किया जाता है ।

फैजाबाद में सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी परिवहन निगम में श्री उत्तम प्रकाश मिश्र के सेवानिवृत्ति के उपरान्त देय भुगतानों को किये जाने की मांग

45–श्री तेजभान सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि उत्तम प्रकाश मिश्र सहायक क्षेत्रीय लेखाधिकारी फैजाबाद अप्रैल, 1999 में सेवानिवृत्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या श्री मिश्र को उनके देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

राजा महेन्द्र अरिमर्दन सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण ।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर ।

जनपद मैनपुरी थाना दन्नाहार में दर्ज 56/2000, 57/2000, 58/2000, 59/2000, 60/2000 के फर्जी मुकदमा बनाये जाने सम्बन्धी शिकायत-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

46–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि अपराध संख्या 56/2000, 57/2000, 58/2000, 59/2000, 60/2000 थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी के फर्जी मुकदमा बनाये जाने विषयक श्री गयाप्रसाद पुत्र भूपाल सिंह निवासी गोपालपुर थाना–दन्नाहार जनपद मैनपुरी का शिकायती पत्र डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, से प्राप्त आख्यानुसार की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :–

(1) मु०अ०सं०–56/2000दिनांक 26-3-2000 को धारा 307/504/506 भा० द० वि० दिनांक 24-3-2000 को थाना दन्नाहार पर अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह, प्रेमपाल व हरिश्चन्द्र निवासीगण ग्राम गोपालपुर, थाना दन्नाहार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ, जो विवेचनाधीन है । उपरोक्त तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमपर्ण कर दिया है, जो जेल में हैं ।

(2) मु०अ०सं०–57/2000 दिनांक 26–3–2000 को धारा 307/504/506 भा० द० वि० के अन्तर्गत अभियुक्त विजय सिंह, कैलाश, राम सिंह, लाखन निवासीगण गोपालपुर, थाना दन्नाहार के विरुद्ध पंजीकृत हुआ । इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश देने पर ग्राम पदमपुर में अंगनू लाल के घर के पास अभियुक्त विजय सिंह, राम सिंह, लाखन सिंह मय नाजायज असलाहों व कारतूसों के साथ, कैलाश खाली हाथ गिरफ्तार किये गये । अभियुक्त विजय सिंह, राम सिंह व लाखन सिंह के विरुद्ध अपराध सं०–58/2000, 59/2000 व 60/2000 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट अलग से पंजीकृत किये गये तथा विवेचना के बाद आरोप-पत्र सं०–12, 13 व 14 दिनांक 27-3-2000 को प्रेषित किये गये । विवेचना से साक्ष्य के आधार पर अपराध सं०–57/2000 धारा 307/504/506 भा० द० वि० में वादी द्वारा झूठा लिखाया जाना पाया गया । जिससे विवेचक द्वारा विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट सं०–12 मय जुर्म खारिजा के दिनांक 3-4-2000 को प्रेषित की गयी तथा वादी के विरुद्ध धारा 182 भा०द०वि० की रिपोर्ट प्रेषित की गयी । अपराध सं०–57/2000 में इन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 169 द०प्र०सं० की रिपोर्ट देने पर, माननीय न्यायालय द्वारा पुनः विवेचना करवाये जाने के आदेश दिये गये, जिससे यह अभियोग

विचाराधीन है । श्री गया प्रसाद के प्रार्थना-पत्र के आधार पर अभियुक्त सन्तोष, सत्यदेव, सुघरपाल, आदित्य तथा दब्लू निवासीगण गौनेर, थाना–दन्नाहार के विरुद्ध मु०अ०सं०-57ए/2000 धारा 147/323 भा० द० वि० पंजीकृत कराया जा चुका है जो विवेचनाधीन है । आवेदक के प्रार्थना-पत्र में अंकित अन्य आरोपों, जिसमें ग्राम गोपालपुर में बहू-बेटियों की बेइज्जती करना तथा भय के कारण कई परिवारों द्वारा गांव को छोड़कर भाग जाना सम्मिलित है, उक्त आरोपों की जांच में पुष्टि नहीं हो सकी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

47–श्री अक्षयवर लाल–

[5वें मंगलवार में अता० प्र० सं०–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

कानपुर देहात, थाना रूरा, ग्राम सरगांव बुजुर्ग में श्री सुख सागर की पुलिस हिरासत में की गयी हत्या तथा पत्नी सरिता के अपहरण के सन्दर्भ में शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

48–श्री राम नक्षत्र–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करूणा सागर दुबे (पत्रकार) के प्रार्थना पत्र के आधार पर ग्राम सरगांव बुजुर्ग (थाना रूरा कानपुर देहात) निवासी सुखसागर की पुलिस हिरासत में की गयी हत्या एवं उसकी पत्नी सरिता के अपहरण के संदर्भ में गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा फैक्स नम्बर 2408/6-मा०प्र०/98 दिनांक 31-12-98 द्वारा मजिस्ट्रेटी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की प्रदेश शासन द्वारा मजिस्ट्रीरियल जांच करायी गयी एवं जांच आख्या शासन को प्राप्त हो चुकी हैं ।

जनपद उन्नाव में स्थित गहिरा बन्थर में मै० ग्लू केम इण्डिया को पर्यावरण विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जानकारी

49–श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी भी औद्योगिक इकाई को कार्यरत होने के पूर्व पर्यावरण विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती हैं ? यदि हां, तो जनपद उन्नाव में स्थित गहिरा बन्थर में कार्यरत कच्चे चमड़े से सरेश व खाद बनाने की इकाईयों ने अनुमति ली है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो सरकार उनको बन्द कराकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक–

220 प्रकार के चिन्हित अप्रदूषणकारी उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी इकाइयों हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है ।

गहिरा बन्थर, उन्नाव क्षेत्र में 01 इकाई मै० ग्लू केम इण्डिया को सशर्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, परन्तु संचालन हेतु इस इकाई द्वारा सहमति प्राप्त नहीं की गयी है । शेष 02 अन्य इकाइयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सहमति प्राप्त नहीं की गई है । अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 25-11-97 को निर्गत किया गया ।

उद्योग मैं० ग्लू केम इण्डिया को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुपालन एवं उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु नोटिस दिनांक 28-01-2000 को जारी किया गया है । पुनः

उद्योग को पत्र दिनांक 02-05-2000 द्वारा समयबद्ध अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है । शेष 02 इकाईयों उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत नहीं है एवं पर्यावरण अधिनियमों के अनुपालन के दृष्टिकोण से अवैध है । इन अवैध इकाइयों के विरुद्ध संचालन रोकने की कार्यवाही हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 2-5-2000 द्वारा जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला उन्नाव, तहसील सफीपुर थाना बांगरमऊ ग्राम मेला आलमशाह में मारपीट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर थाने द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

50–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित श्री रामलखन पुत्र श्री सोबरन प्रसाद, निवासी ग्राम मेला आलमशाह (गैर एहतमाली) थाना बांगरमऊ तहसील सफीपुर जिला उन्नाव का प्रार्थना पत्र दिनांक 11-11-1999 जोकि थाना कोतवाली बांगरमऊ की पुलिस द्वारा मारपीट कर हवालात में बन्द किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी सफीपुर उन्नाव द्वारा की गयी । प्रार्थी व उसके सगे चाचा व चचेरे भाई के मध्य आबादी की जमीन का विवाद है जो न्यायालय दीवानी में विचाराधीन है । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस द्वारा उभय पक्षों को 151/107/116 जाफ्ता फौजदारी में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, इसीलिये शिकायत की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर में नव प्रकाशित लागू सर्किल रेट के विरोध में स्थानीय संगठनों द्वारा ज्ञापन देने पर नया संशोधित सर्किल रेट जारी करने तथा संशोधित रेट में विशिष्ठ ग्रामों का सर्किल रेट घटाने के बजाय बढ़ाने के आधार की जानकारी

51–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर में नव प्रकाशित लागू सर्किल रेट (2-11-99 से) के विरोध में स्थानीय संगठनों द्वारा ज्ञापन देने पर दिनांक 23-12-99 को नया संशोधित सर्किल रेट जारी किया गया है ? क्या संशोधित सर्किल रेट में विशिष्ट ग्रामों का सर्किल रेट घटाने के बजाय बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के पशुधन व्यापारियों द्वारा पश्चिमी जनपदों से खरीदकर लाये जाने वाले ट्रकों को पूर्वी जनपदों की पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

52–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दि० 7-7-99 जो प्रदेश के पशुधन व्यापारियों द्वारा पश्चिमी जनपदों से खरीदकर लाये जाने वाले ट्रकों को पूर्वी जनपदों की पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दि० 8-7-1999 को उस पत्र पर

प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 7-7-79 प्राप्त हुआ ।

माननीय सदस्य के पत्र के साथ श्री नगीना सिंह ग्राम वीर चन्द्रहा, पोस्ट ताड़ी बड़ा गांव, जिला बलिया का पत्र संलग्न था जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि जनपदों में पशु व्यापारियों को पुलिस द्वारा परेशान करने की शिकायत की गयी है । उक्त शिकायती-पत्र में उल्लिखित जनपदों से सूचना मांगी गई । उनमें से कतिपय जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार यह पाया गया कि पशुधन व्यापारियों द्वारा जिन ट्रकों में बैलों व बछड़ों को क्रूरता पूर्वक, बेरहमी से ठसा-ठस भरकर अवैध रूप से कटने के लिए भेजा जा रहा था, उन्हीं ट्रकों को पुलिस द्वारा रोककर उनके चालकों, परिचालकों तथा मालिकों के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम तथा पशु क्रूरता अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । शिकायती पत्र में लगाये गये पुलिस उत्पीड़न सम्बन्धी आरोप निराधार पाये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व० श्री जगमोहन सिंह कान्सटेबिल नं०–215 नागरिक पुलिस की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित को नौकरी देने की मांग

53–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगमोहन सिंह कान्सटेबिल नं० 215 नागरिक पुलिस की सेवाकाल में दिनांक 1-3-93 को लखनऊ में कार्यरत रहते हुये मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक आश्रित (श्री जितेन्द्र मोहन सिंह) को सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-3-93 व 21-5-93 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ व उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो क्या मृतक–आश्रित को सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक–आश्रित को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश–

स्व० श्री जगमोहन सिंह के दिनांक 7-10-87 से निरन्तर 5 वर्ष अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवाओं का अस्तित्व वित्तीय नियमों के अनुसार दिनांक 8-10-92 के पश्चात् स्वतः समाप्त हो गया था । अतएव दिनांक 1-3-93 को उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र द्वारा दिए गए प्रश्नगत प्रार्थना-पत्रों पर तत्समय पुलिस अधीक्षक लखनऊ द्वारा मृतक आश्रित श्री जितेन्द्र मोहन सिंह को सेवायोजित किए जाने का औचित्य न पाते हुए प्रकरण पुलिस मुख्यालय को संदर्भित नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजे तक और बढ़ा दिया है ।

1 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 15 मिनट तक और बढ़ा दिया है ।

1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा राम विशुन आजाद सहित विपक्ष के अधिकांश सदस्य खड़े होकर अपनी सूचना को उठाने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण कर लें ।

श्री आर० के० चौधरी, श्री राम विशुन आजाद तथा श्री उदय राज यादव सहित विपक्ष के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

कृपया अपने अपने स्थान पर चलिये ।

(व्यवधान के मध्य)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 मई, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की, दूसरी श्री सरवर अली खां की, तीसरी श्री रघुवर दयाल वर्मा की, चौथी श्री भीम प्रसाद सोनकर की, पांचवीं श्री श्यामदेव राय चौधरी की, छठी श्री राम सिंह सैनी की और सांतवीं श्री राम औतार शाक्य की है । प्रतीक्षा सूची में से जिन माननीय सदस्यों की सूचना है उनके नाम हैं श्री दुर्गा प्रसाद यादव और डा० धर्मज्ञ मिश्र । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं उनके नाम हैं ड़ा० पूर्णमासी पंकज और श्री रामललित चौधरी ।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज की कतिपय न्याय पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में चार विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज आते हैं । विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत न्याय पंचायत महादेवा और न्याय पंचायत टिकरी, वजीरगंज विकास खण्ड की न्याय पंचायत सहकरिया और न्याय पंचायत वजीरगंज के काश्तकारों को अपने राजस्व संबंधी मुकदमों के लिये तहसील तरबगंज जाना पड़ता है । तहसील की अधिक दूरी होने के कारण और आवागमन की सुविधा न होने की कास्तकारों एवं वादकारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और समय पर न पहुंचने से नुकसान भी होता है । विकास खण्ड वजीरगंज और नवाबगंज की सेहरिया न्याय पंचायत वजीरगंज, न्याय पंचायत महादेवा न्याय पंचायत, टिकरी न्याय पंचायत तहसील मनकापुर से बहुत ही कम निकट है । जिसकी दूरी 10 कि०मी० से कम है । यदि तहसील मनकापुर में उक्त न्याय पंचायतों को तहसील मनकापुर में समायोजित कर दिया जाय तो वादकारियों एवं काश्तकारों को अपने वाद संबंधी मामलों में राहत मिलेगी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं ।]

पी०सी० एफ० उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत वर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा कथित रूप से की जा रही वित्तीय अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सरवर अली खां–

[मानयवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पी० सी० एफ० उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत वर्तमान प्रबन्ध निदेशक श्री के० एल० मीना द्वारा विभाग में अनेक वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार एवं आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है । उदाहरणस्वरूप इनके योगदान तिथि दिनांक 13-1-2000 से अब तक के कार्यकाल में लगभग 2.5 करोड़ रुपये के अनुरक्षण कार्य हेतु टेण्डर कराये गये जबकि इस मद में 50 लाख रुपये खर्च करने का ही प्राविधान था । दो पूर्व प्रबन्ध निदेशकों द्वारा इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी गई जब कि इनके द्वारा 2 माह के कार्यकाल में विवादित अधिकारी श्री एम० सी० मिश्रा से सांठ-गांठ कर टेण्डर कराया गया । गाह अगस्त, 99 में संचालक मण्डल की जीत की खुशी में जश्न ताज होटल में मनाया जिसमें रु० 47169=00 खर्च किया जिसका भुगतान वाउचर नं० 2734 दिनांक 6-3-2000 को श्री मीना द्वारा कर दिया गया जबकि शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अतिरिक्त पांच सितारा होटल में भोज पर पाबंदी है । श्री मीना द्वारा फर्नीचार खरीदने में तमाम अनियमिततायें की जा रही हैं और विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को आतंकित करने की गरज से उनका स्थानान्तरण काफी मात्रा में किया जा रहा है जिससे पी० सी० एफ० संस्था में कार्यरत अधिकतर अधिकारियों/कर्मचारियों में अत्यधिक असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर मांग करता हू कि उक्त अधिकारी को उक्त संस्था से तुरन्त हटाकर इनके विरुद्ध जांच कराने का सरकार को निदेश देने का कष्ट करें ।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद में भू-जल के गिरते स्तर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा-

[महोदय, जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद, नारगी, टूण्डला, में निरन्तर भूगर्भ जल स्तर गिरते जाने से सूखा की भयावह स्थिति पैदा हो गयी है । पेयजल को निर्मित हैण्डपम्प सूखे में खड़े हैं और तालाब पोखरें सभी सूख गये हैं जल स्तर 60 फूट नीचे चला जा चुका है । पशुओं और पक्षियों को पानी ढूंढ़ने से नहीं मिलता वह मरने लगे हैं, की भयावह स्थिति से इन क्षेत्रों में भारी असंतोष एवं हड़कम्प व्याप्त है । तालाब पोखरों में पानी भरवाने के आदेश राजस्व विभाग को निर्गत करने की परम आवश्यकता है । नहरों, राजवाहों और सरकारी सिंचाई नलकूपों से तालाब पोखरे पानी से भरवाये जाने की परम आवश्यकता है ।

जिला प्रशासन को सूखे पड़े हैण्डपम्पों की जांच कराकर उन्हें जल निगम रिबोर (पुनः छिद्रण) कराने के आदेश निर्गत किये जाय और इस कार्य के लिए ग्राम्य विकास विभाग से विशेष धन की व्यवस्था कराकर इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाय ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार को तत्काल युद्ध स्तर पर विशेष धनराशि प्रदान कर पेयजल उपलब्ध कराने की कार्यवाही के निर्देश देने की कृपा करें ।]

अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीरगंज की कतिपय सड़कों को पिच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[महोदय, आपके संज्ञान में अति लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सड़को का पिच न होने से गांव का विकास कार्य नहीं हुआ है आवागमन बाधित है जबकि शासन की नीति है कि प्रत्येक गांव को मुख्य पिच मार्ग से जोड़ा जायेगा । साथ ही साथ यह भी है कि चौड़ीकरण में भी मेरे क्षेत्र की सड़क छुटी हुई है । जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाऐं हो जाया करती है । जैसे :-1-बसखरी से रामनगर जहांगीरगंज, राजेसुल्तानपुर होते हुए पिकिया नदी तक चौड़ी कराये ।

2-बिजली तिहाई स्कूल से कठर्वकोल, बतकटा भदयां होते हुए साबितपुर तक पिच ।

3-निकसपुर दुबौलिया से ऊचेडीह, लालमनुपर वर्मा बस्ती तक होते अतरैढ़ नाले तक पिच ।

4-जहांगीरगंज से नेहारी होते हुए रामबाग तक पिच ।

5-गिरैया से कल्याणपुर जैती होते हुए बंगालपुर निषाद बस्ती तक पिच ।

उक्त लोक महत्व के विषय पर ध्यान देते हुए सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये तथा जांच करवा कर तत्काल पिच कराना सुनिश्चित करें ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जल संस्थान के पुराने गेट के सामने स्थित ध्वस्त मुख्य ट्रंक सीवर लाइन की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर में सीवर समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है स्थान-स्थान पर सीवर लाइन चोक होकर बैठ जाने से लोगों के घरों के गंदे पानी का निकास अवरुद्ध होने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं । मेरे दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान कार्यालय के पुराने गेट के सामने ट्रंक सीवर लाइन, जो करीब 20 फिट गहरी है, विगत कई वर्षों से टूटकर बैठ गयी है और ध्वस्त हो गयी है जिससे आसपास के क्षेत्र में स्थित मकानों के गंदे पानी का निकास अवरुद्ध हो जाया करता है । स्थिति की गम्भीरता के बावजूद वाराणसी नगर निगम उक्त सीवर लाइन की मरम्मत अथवा बदलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा है । बाध्य होकर आसपास के नागरिकों द्वारा समस्या के विरोध में कई बार धरना, प्रदर्शन तथा सड़क जाम किया जा चुका है । मेरे द्वारा भी इसके पूर्व विधान सभा में तारांकित प्रश्न किया जा चुका है लेकिन खेद का विषय है कि आश्वासन के उपरान्त भी कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया जिससे समस्या का निदान हो सके ।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा उक्त ध्वस्त सीवर लाइन के अविलम्बनीय निर्माण/मरम्मत नगर निगम अथवा जल निगम के माध्यम से कराएं जाने हेतु शासन को निर्देशित करने की मांग करता हूं ।]

रुड़की विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह सैनी–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यधिक महत्वपूर्ण लोक महत्व की अविलम्बनीय समस्या की ओर आकृष्ट कर शासन से मांग करता हूं कि इसका निराकरण तुरन्त कराया जाय । मेरे क्षेत्र ग्राम शेखवाला ग्रन्ट कोटा मुरादनगर, डालवाला, आसफनगर ग्रन्ट मानूवास (ब्लाक बहादराबाद) हलबाहेडी, बढ़ेडी राजपुसान, भारापुर, रहमतपुर (ब्लाक रुड़की) ग्राम मक्खानपुर, भगवानपुर, हकीमपुर तुर्रा (ब्लाक भगवानपुर) नदियों ने भारी कटाव कर दिया है । जिसमें कृषियोग भूमि तो नदियों के कटाव की चपेट में आ गयी है, तथा इन ग्राम के आवादियों को खतरा पैदा हो गयी है ।

अतः पत्थरों की ठोकर बनाना जनहित में अति आवश्यक है । जिला योजनाओं में पैसा का अभाव होने के कारण प्रदेश में पैसा स्वीकृत होना आवश्यक है ।

अतः उक्त कार्य वर्षा शुरू होने से पूर्व कराना जनहित में आवश्यक है ।]

प्रदेश में शासकीय अधिवक्ताओं की शासनादेश के अनुसार नवीनीकरण एवं नियुक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, जनपद स्तर पर दीवानी फौजदारी व राजस्व पक्षों के शासकीय अधिवक्ताओं के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिये 23 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण तथा अल्पसंख्यकों के समुचित प्रतिनिधित्व के लिये एक शासनादेश संख्या डी–272/सात–न्याय 3–94–9/92 दिनांक 16 फरवरी, 1994 जारी किया गया था परन्तु यह सरकार उक्त शासनादेश का अनुपालन

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं कर रही है । पूर्व में नियुक्त उक्त वर्गों के शासकीय अधिवक्ताओं को अकारण हटा रही है और जिलों से आये नवीनीकरण के मामलों में जिनमें विधिवत् रूप से नवीनीकरण के लिये आई संस्तुतियों को नजरअंदाज करके विधि सम्मत कार्य न करके अवैधानिकतायें वरत रही है । ऐसा प्रदेश के सभी जनपदों में हो रहा है इसके अलावा जो नये शासकीय अधिवक्ता वर्ष 1998-1999 में नियुक्त किये गये हैं उनमें अवैध नियुक्तियां करके शासनादेश का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया गया अनियमितताओं एवं अवैधानिकताओं के अनेकों प्रकरण इस वर्ष सन् 2000 में नवीनीकरण निरस्त करके एवं नई नियुक्तियां करके किये हैं, किये जा रहे हैं । शासनादेश का अनुपालन न करके उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग विरोधी रवैया अखित्यार किया है जिसमें प्रदेश की जनता आन्दोलित व आक्रोषित है । यह तात्कालिक लोक महत्व का प्रश्न है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं शासनादेश उपरोक्त के आधार पर शासकीय अधिवक्ताओं के नवीनीकरण एवं नवनियुक्तियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था कड़ाई से लागू किये जाने की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 8 मई, 2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित दो सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की हाईस्कूल के पाठ्यक्रम को परिवर्तित किये जाने के संबंध में, यह सूचना नियम–300 में नहीं आती है इसलिये अस्वीकार की जाती है, दूसरी सूचना श्री बाबू लाल कुरील की लोक निर्माण विभाग में सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक खण्ड के 71 खण्ड तोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, यह सूचना भी नियम 300 में नहीं आती है इसलिये अस्वीकृत की जाती है ।

नियम 311 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनकी मैंने अनुज्ञा नहीं दी है, वह अस्वीकार की जाती है ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2000 को पारित किए गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन), विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को पारित किया गया था, उत्तर पदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2000 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 2 मई, 2000 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 4 मई, 2000 को वापस प्राप्त हो गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4 में कुछ नहीं है । तथा मद संख्या–5 में याचिकाकर्ता माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार अनुपस्थित हैं ।

जनपद मेरठ में विद्युत आपूर्ति के व्यवधान के समय पेयजल की आपूर्ति को सुचारु रूप से संचालन हेतु जनरेटरों की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में श्री अशोक सुधाकर आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, जनपद मेरठ में विद्युत आपूर्ति के व्यवधान के समय पेयजल की आपूर्ति को सुचारु रूप से संचालन हेतु जनरेटरों की व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री अशोक सुधाकर तथा श्री स्वराजचन्द, निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7, 8 व 9 में कुछ नहीं है ।

(व्यवधान जारी रहने पर)

मद संख्या–10 के पूर्व मैं सदन को 1.45 बजे तक स्थगित करता हूं ।

1 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजे तक के लिये बढ़ा दिया है । 2 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।

(श्री आर० के० चौधरी, श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री लाल जी वर्मा, श्री राम विशुन आजाद, श्री उदयराज यादव आदि सदस्यों के वेल में आने तथा नारे लगाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

मेरा अनुरोध है कि कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

---

† छापी नही गयी ।

(नेता विरोधी दल को पुकारा गया ।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों के अपने आसन पर न जाने एवं नारे लगाते रहने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(02 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 02 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 02 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग के सभापतित्व में आरम्भ हुई ।)

(श्री आर० के० चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, श्री मुराद लारी, श्री श्रीराम पाल, श्री भगवती प्रसाद एवं श्री लालमणि प्रसाद आदि बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में बैठे रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर जायं ।

(श्री उदयराज यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्री मुराद लारी एवं श्री भोनू राम सोनकर सहित समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्य सदन की वेल में आ गये ,श्री उदयराज यादव व श्री भोनू राम सोनकर नारे लगाते हुए पीठ की तरफ बढ़ने लगे ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया अपने स्थान पर जायं । नियम 56 में माननीय सदस्यों की बहुत महत्वपूर्ण सूचनायें हैं और बजट पर भी चर्चा होनी है इसलिये कृपया अपने स्थान पर जायं ।

(वेल में आये हुये माननीय सदस्य नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा ।)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 8-5-2000 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है ।

पहली सूचना श्री विनोद मणि तथा श्री राम नरेश यादव की बाबा राघव दास मेडिकल कालेज गोरखपुर में सरकार द्वारा स्नातकोत्तर की शिक्षा बन्द करने तथा स्नातक स्तर की सीटों में कमी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, बाबा राघव दास मेडिकल कालेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक मात्र मेडिकल कालेज है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है .....

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, 9 मई, 2000 को इस पर एक घन्टे की चर्चा बजट के पूर्व करा लेंगे ।

दूसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की निरस्त की जाती है । तीसरी सूचना श्री समर पाल सिंह, श्री राजपाल सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री बनारसी दास चांदना एवं श्री कौकब हमीद की है, इसे भी निरस्त किया जाता है । चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री अम्बिका चौधरी, श्री रमेश राही व श्री धनीराम वर्मा की है इसे भी निरस्त किया जाता है । पांचवीं सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री राम कुमार, श्री उदय राज यादव एवं श्री राम विशुन आजाद की है इसे भी निरस्त किया जाता है । छठी सूचना श्री राम प्यारे सिंह की है, निरस्त की जाती है । सातवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की है, निरस्त की जाती है । आठवीं सूचना श्री राम सिंह सैनी की है, निरस्त की जाती है । नवीं सूचना प्रदेश के महानगरों में पालिथीन खाने से गायों की हो रही मृत्यु के संबंध में श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री कौकब हमीद, श्री प्रमोद कुमार एवं श्री जगदम्बिका पाल की है, इस सूचना के संदर्भ में पहले से नियम–103 में सूचना दी गयी है, उसमें एक घण्टे की चर्चा होगी उस समय माननीय सदस्य अपनी बात रख लेंगे । दसवीं सूचना श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रदीप कुमार एवं श्री परवेज हलीम की है, निरस्त की जाती है ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं की गयी हैं और वह अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री बी० आर० वर्मा, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री शिव चरण प्रजापति, श्री राम पाल, श्री राजेन्द्र यादव, श्री पीतम राम, श्री अब्दुल कलाम (बस्ती), श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री अब्दुल कलाम (वाराणसी), कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार, श्री मुन्ना चौहान, श्री संजय सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम अचल राजभर, श्री राजाराम पाल, श्री ददूदू प्रसाद, श्री राम ललित चौधरी, श्री भगवती प्रसाद, श्री अब्दुल मन्नान ।

(''पुलिस के बल पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' के नारे वेल में आये हुये सदस्यों द्वारा लगाये जाते रहने से घोर व्यवधान जारी रहा)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

* कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,62,92,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,62,92,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

कृषि मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,06,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(घोर व्यवधान जारी)

(किसी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर ।)

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिये मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,06,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

भूमि विकास एवं जल संस्थान एवं परती भूमि विकास मंत्री (श्री मण्डलेश्वर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,17,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(किसी सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूँकि कोई सदस्य कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2001 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,17,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

वेल में उपस्थित सदस्य कृपया अपने-अपने आसन पर जाएं।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन० जी० ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनायी जाय" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

* डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों (एन०जी०ओ०) की कार्य प्रणाली को पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वच्छ एवं उत्तरदायी बनाये जाने हेतु शासन द्वारा सामान्य नीति बनाई जाए।"

मान्यवर, इस प्रस्ताव पर चर्चा को आज स्थगित कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करे" के संबंध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा का स्थगन

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हुई मृत्यु की जांच/परीक्षण हेतु एक आयोग गठित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 6 माह में प्रस्तुत करे।"

(व्यवधान जारी)

मान्यवर, इस पर चर्चा को आज स्थगित कर दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 8 मई, 2000 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 26 सूचनायें प्राप्त हुईं ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

(1) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी — मेरठ महानगर की तक्षशिला कालोनी में तीन व्यक्तियों की नृशंस हत्या तथा अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री राम औतार शाक्य — प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् में हजारों की संख्या में कार्यरत अध्यापकों को प्रोन्नति न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री राम विशुन आजाद — प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 10 से 20 वर्षों के अविरल सेवा के उपरान्त भी स्थायी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री बनारसीदास चान्दना — राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष लागू अतिथि प्रवक्ता व्यवस्था विरोधी विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :–

(1) श्री गोमती यादव — अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के सेवा निवृत्त शिक्षिकाओं के पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु तथा उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि को अर्हकारी सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में ।

(2) श्री रामकुमार 'एडवोकेट' — कानपुर नगर में श्री रत्न शुक्ल नगर निगम इण्टर कालेज में बिना कला प्रवक्ता का पद सृजित किये कला प्रवक्ता को स्थानान्तरित कर उक्त इण्टर कालेज में नियुक्त करने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री वसीम अहमद — जनपद आजमगढ़ में गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत महाराजगंज में छोटी सरयू नदी पर जर्जर टूटे हुए पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित मा० सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :–

(1) डा० पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर भदोही में वरुणा नदी की खुदाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(2) श्री तेजभान सिंह — जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर के ग्राम नूरपुर बनके गांव में ग्राम समाज की भूमि का गलत इन्द्राज कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(3) श्री जगदम्बिका पाल — लखनऊ महानगर में पंचम राष्ट्रीय युवा महोत्सव–99 के आयोजन में प्रयुक्त टेन्ट एवं पण्डाल आदि का भुगतान महानिदेशक, युवा कल्याण द्वारा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(4) श्री गोरखनाथ पाण्डेय — जनपद संत रविदास नगर भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत दीघ ब्लाक स्थित कलिंजरा गोपालपुर ग्रामसभा तथा कतिपय अन्य ग्रामों को गंगा के कटान से बचाये जाने के सम्बन्ध में ।

(5) डा० धर्मज्ञ मिश्र — वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को अवैध रूप से कब्जा किये लोगों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में ।

(6) श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा — जनपद पिथौरागढ़ स्थित हिमालयन मैग्नासाइट लिमिटेड एवं मिनिरल्स एवं माइन्स लिमिटेड चण्डाक के प्रबन्धक एवं श्रमिकों के बीच विवाद के निस्तारण हेतु उच्च स्तरीय मध्यस्थता समिति गठित किये जाने के सम्बन्ध में ।

(7) श्री अजय कुमार पोइया — लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सिविल, विद्युत एवं यांत्रिक के 71 खण्ड तोड़े जाने के फलस्वरूप विद्युत/यांत्रिक के अभियन्ताओं को अन्यत्र समायोजित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(8) श्री भीम प्रसाद सोनकर — स्थायी विभागीय निर्माण इकाई, अनुरक्षण (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में सामानों की खरीद में की गयी धांधली के सम्बन्ध में ।

जिन मा० सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :–

श्री संजय गर्ग, श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री प्रदीप कुमार, श्री पीटर फैन्थम, श्री अब्दुल मन्नान, श्री जय प्रकाश, श्री सौलत अली एडवोकेट, श्री उदय राज यादव, श्री बाबू लाल कुरील, श्री अफजाल अहमद एवं श्री उपाकान्त यादव ।

मा० सदस्यों से पुनः अनुरोध है कि वे कृपया अपने-अपने स्थान पर जायें ।

(घोर व्यवधान जारी रहा)

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में कार्यरत सी० एच० डब्लू० (कम्युनिटी हेल्थ वर्करों) के साथ हो रहे अन्याय के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[सी० एच० डब्लू० (कम्युनिटी हेल्थ वर्कर) योजना पूर्णरूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो भारत सरकार के आदेशों के अधीन प्रदेश में 2 अक्टूबर, 1977 से लागू की गई । उक्त योजना में

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रत्येक 1000 ग्रामीण आबादी पर समुदाय से एक सी० एच० डब्लू० का चयन समुदाय द्वारा समुदाय के लिये किया गया था । इन सी० एच० डब्लू० की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता कक्षा-6 रखी गयी थी । उक्त योजना के अन्तर्गत सी० एच० डब्लू० प्रतिदिन केवल दो-तीन घण्टे ही स्वैच्छिक जन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु चयन किये गये थे, जिसके लिये उन्हें 50 रुपया प्रति माह मानदेय के रूप में दिया जाता है ।

इन सी० एच० डब्लू० से प्रदेश सरकार द्वारा कोई बाण्ड नहीं भराया गया था अतः इन सी० एच० डब्लू० की स्वैच्छिक सेवाएं पूर्णतया अवैतनिक हैं और वे पूर्णकालिक कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

यह सत्य है कि 1986 से भारत सरकार ने पुरुष सी० एच० डब्लू० का मानदेय खत्म कर महिला सी० एच० डब्लू० का चयन करने का आदेश दिया था, जिस पर मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन सरकार द्वारा पूर्ववत् स्थिति बहाल कर दी गयी थी जिसके अधीन प्रति माह उन्हें पुनः 50 रुपये मानदेय दिया जा रहा है ।

पुरुष सी० एच० डब्लू० की पूर्ववत् स्थिति बहाल करने के उपरान्त उन्हें कोई नया कार्य नहीं सौंपा गया था । इन सी० एच० डब्लू० से केवल वही कार्य स्वैच्छिक रूप से करने की अपेक्षा की गयी थी जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश में पूर्ववत् विद्यमान हैं ।

(सी० एच० डब्लू०) कम्युनिटी हेल्थ वर्करों द्वारा मा० उच्च न्यायालय में इस विषय पर विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी हैं कि उन्हें राजकीय सेवक माना जाय, वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाय तथा रु० 50 प्रतिमाह के मानदेय आदि की दरें बढ़ायी जायं । योजित की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण में अद्यतन स्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा उक्त योजना की उपयोगिता एवं सी० एच० डब्लू० द्वारा किये गये कार्यों के मूल्यांकन हेतु एक विशेष समिति का गठन दिनांक 25-7-1997 द्वारा किया गया है । चूंकि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत पोषित है अतः सी० एच० डब्लू० के मानदेय आदि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार सक्षम नहीं हैं ।

सी० एच० डब्लू० का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखे गये कतिपय पत्रों के सन्दर्भ में, भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 27-4-98 एवं 29-5-98 द्वारा यह सूचित किया है कि–"अभी मंत्रालय में ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना की समीक्षा की जा रही है । इस पर जो निर्णय लिया जायेगा, उसी के अनुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी ।"]

प्रदेश में भयावह रुप से बढ़ रही मुख कैंसर की बीमारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

। प्रदेश में बेतहाशा रूप से बढ़ रहे मुख के कैंसर की बीमारी के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 15-2-2000 को आयोजित की गई थी । विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार पान मसाला तम्बाकू सहित एवं तम्बाकू रहित भारतवर्ष की मार्केट में कई प्रकार के

नोट– । । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ब्रांड नेम में उपलब्ध है और यह पुरुषों एवं महिलाओं के अतिरिक्त सभी आयु के लोगों में काफी प्रचलित है ।

पान मसाला के विभिन्न ब्रांड में अलग-अलग प्रकार के तत्वों की मात्रा होती है । मुख्य रूप से तीन प्रकार के पान मसाले भारत में उपलब्ध हैं–सादा पान मसाला, मीठा पान मसाला एवं तम्बाकू सहित पान मसाला ।

सुपारी एवं तम्बाकू पान मसाले के मुख्य तत्व हैं, जो स्वास्थ्य के लिये बहुत हानिकारक मिश्रण के रूप में उपलब्ध रहते हैं । कई सर्वेक्षणों द्वारा यह स्पष्ट हुआ है कि सुपारी के प्रयोग से "पूर्व कैंसर एवं कैंसर रोग" मुंह में होने की अत्यधिक सम्भावना रहती है । सुपारी के प्रयोग से मुख गुहा के "सवम्यूकस फाइब्रोसिस" होने की अत्यधिक सम्भावना रहती है । इस रोग के द्वारा मुख के खुलने में अवरोध उत्पन्न होता है तथा 7.5% रोगियों में मुंह के कैंसर उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है ।

गुटखा के रूप में तम्बाकू सहित पान मसाला द्वारा यह पाया गया है कि इसके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में इसके प्रति एक प्रकार का खिंचाव उत्पन्न होता है । विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा अनुसंधान से यह बात स्पष्ट हुई है कि मुंह से खाई जाने वाली तम्बाकू मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है । इसके अतिरिक्त तम्बाकू के प्रयोग से मूत्राशय के भी कैंसर उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि तम्बाकू का प्रयोग जनस्वास्थ्य के लिये अत्यधिक हानिकारक है । इसके साथ ही साथ सुपारी एवं अन्य तत्वों के बदले सस्ते तत्वों का मिश्रण भी स्वास्थ्य के लिये जे० के० कैंसर संस्थान के अनुसार मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या एवं प्रतिशत में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जो निम्न प्रकार है :–

वर्ष	1995	1996	1997	1998	1999
संख्या	621/3324	647/3486	675/3494	699/3348	746/3420
प्रतिशत	18.68	18.56	19.32	20.88	21.81

तम्बाकू तथा तम्बाकू के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु एक संकल्प विधान सभा/परिषद् में दिनांक 22 जून, 1998 को पारित किया गया है । जिसे विधि द्वारा विनियमित किये जाने हेतु भारत सरकार को दिनांक 19 अगस्त, 1998 को प्रेषित किया गया । इस सम्बन्ध में भारत सरकार को दिनांक 24-3-2000 को अनुस्मारक भी भेजा गया है । यह भी अवगत कराना है कि राष्ट्रीय कैन्सर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार द्वारा नामित एवं सहायतित पांच जनपदों में कैन्सर की प्रारम्भिक अवस्था में खोज एवं उपचार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।]

जनपद आगरा महानगर स्थित लेडी लायल महिला चिकित्सालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[यह सही नहीं है कि डा० ऊषा वत्स वर्ष 1974 से लेडी लायल महिला चिकित्सालय, आगरा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हैं, वरन् डा० ऊषा वत्स माह जून, 1994 से लेडी लायल महिला अस्पताल, आगरा में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात हैं ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शासन के संज्ञान में अभी तक डा० ऊषा वत्स के द्वारा किये भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता का कोई प्रकरण नहीं आया है । मा० विधायक द्वारा जो शिकायतें की गई हैं वे अस्पष्ट हैं तथा कोई साक्ष्य भी इनके समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही शिकायतकर्ता का पूरा पता, विशिष्ट शिकायतें तथा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं अतः इनके अभाव में जांच कर पाना सम्भव नहीं है । अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल जिनको प्रश्नगत शिकायत की जांच के लिये नामित किया गया था ने सूचित किया है कि डा० ऊषा वत्स का कार्य उत्तम पाया गया ।]

जनपद मथुरा के गोबर्धन क्षेत्रान्तर्गत पेयजल की कमी से उत्पन्न गम्भीर संकट तथा पोखरों एवं तालाबों को आदेशों के बावजूद न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया, द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

[प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है । इसके लिए वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण (मैदानी) क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्पों की स्थापना की जा रही है । इसके अतिरिक्त जहां पर गुणता प्रभावित पानी की समस्या पायी जाती है, वहीं पर पाइप पेयजल योजना द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है । प्रदेश की समस्त मैदानी ग्रामीण बस्तियों को जून, 2000 तक 250 की जनसंख्या के आधार पर इण्डिया मार्क–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर आच्छादित कर दिया जायेगा । मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के विकास खण्डों क्रमशः गोवर्धन में 901, फरह में 605 तथा मथुरा में 1218 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर मानक के अनुसार सभी मजरों को पेयजल से आच्छादित किया जा चुका है । इसके अतिरिक्त विकास खण्ड मथुरा, फरह एवं गोवर्धन क्षेत्र की पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से वर्तमान में 47 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है । जहां तक पोखरों एवं तालाबों में पानी भरे जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।]

वाराणसी में गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत फेज–2 में कार्य को शीघ्र प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ।

लखनऊ स्थित 'पुनर्वास एवं कृत्रिम अवयव केन्द्र' की सरकारी उदासीनता के चलते, बदहाली तथा संस्थान के अस्तित्व को बरकरार रखे जाने के संबंध में श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन ।

श्री अधिष्ठाता–

कार्य सूची की मद संख्या–17 और 20 को, संबंधित विभागों द्वारा वक्तव्य प्राप्त न होने के कारण, स्थगित करता हूं ।

अब हम उठते हैं और कल दिनांक 9-5-2000 को 11-00 बजे (पूर्वाह्न) बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 8 मई, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नत्थी 'क'

(देखिये ता० प्र० सं०–4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 6 पर ।)

दिनांक 01 जनवरी, 1998 से 01 नवम्बर, 1999 तक की अवधि में माननीय मंत्रियों/माननीय राज्य मंत्रियों के चाय नाश्ते पर व्यय हुई धनराशि का माहवार विवरण

माह	वर्ष	व्यय की गई धनराशि (रु० में)		स्तम्भ 3 का योग (रु० में)
1	2	3		4
		मा० मंत्री	मा० राज्य मंत्री	
जनवरी	1998	394115.75	365569.25	750685.00
फरवरी	1998	362611.50	325017.75	687629.25
मार्च	1998	373243.00	428677.50	801920.50
अप्रैल	1998	323565.50	471119.50	794685.00
मई	1998	318507.00	514864.50	833371.50
जून	1998	361352.75	551467.50	912820.25
जुलाई	1998	299094.75	500673.25	799768.00
अगस्त	1998	242920.75	366134.75	609055.50
सितम्बर	1998	282636.75	421883.50	704520.25
अक्टूबर	1998	253385.00	376857.00	630242.00
नवम्बर	1998	269753.50	331597.50	601351.00
दिसम्बर	1998	335093.75	360580.75	695674.50
जनवरी	1999	290330.25	327694.00	618024.25
फरवरी	1999	301338.75	477364.35	778703.10
मार्च	1999	303578.50	257629.50	561208.00
अप्रैल	1999	253042.25	359643.00	612685.25
मई	1999	285998.20	459907.00	745905.20
जून	1999	257906.00	445948.00	703854.00
जुलाई	1999	271601.25	467899.50	739500.75
अगस्त	1999	145859.00	302394.00	448253.00
सितम्बर	1999	111925.00	237890.50	349815.50
अक्टूबर	1999	134883.00	269934.00	404817.00
	कुल योग	6172742.20	8620746.60	14793488.80

पी० एस० यू० पी०–एल० 279 विधान सभा (602)–2000–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।